

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

₹.1000

Rs.1000

बिहार BIHAR

Serial No. 8144

Deed No. 7984

Govt. of Bihar
Sub Registry Office, Danapur

Summary of Endorsement

This document was presented for registration on 29/07/2015 by Arun Kumar
A Stamp Duty of Rs. 55000/- and other Fees of Rs. 14610/- has been paid in it.

The document was found admissible. The Names, Photographs, Fingerprints and Signatures of the
Executants and their Identifier, who have admitted execution before me, are affixed on the
reverse page.

The document has been registered as Deed No. 7984 in Book No. 1, Volume No. 160 on pages from
98 to 109 and has been preserved in total 12 pages in C.D. No. 25 / Year 2015

Date: 29/07/2015

Token No: 8188 / 2015

Signature with Date
(Dhananjay Kumar Rao)
Registering Officer, Danapur

विक्रय-पत्र

(DEED OF ABSOLUTE SALE)

- (1) नाम लेख्यकारी:- श्री अरूण कुमार पिता का नाम स्व०
विश्वनाथ प्रसाद, निवास स्थान-नासरीगंज,
थाना-दानापुर, पत्रालय-दीघा, जिला-पटना,

सही - अरूण कुमार वय
सही - काशी प्रसाद सम
लपटा वाला पापा
29/7/2015

हाल निवास स्थान-20 अविनाश नगर बरखेड़ा पठानी
हुजुर भेल भोपाल हुजुर-462022, मध्य प्रदेश भारतीय
नागरिक जो इसके आगे विक्रेता/ लेख्यकारी के
रूप में वर्णित हैं। (जिनके साथ-साथ उनके
उत्तराधिकारी, वंशज, अधिन्यासी, हितबद्ध तथा प्रथम
पक्ष के हित में प्रशासकों को शामिल किया गया है)
जिन्हें इसमें प्रथम पक्ष कहा गया है।

AHAPK7992G

(2) नाम लेख्यधारी:-

(1) श्री जितेन्द्र कुमार पिता का नाम स्व0
चन्द्रशेखर दास, निवास स्थान ग्राम वो पत्रालय-जैतीपुर,
थाना- नौबतपुर, जिला-पटना, बिहार,

(2) श्रीमती संगीता रानी धर्मपत्नी अजित
कुमार अमित, निवास स्थान-उदयपुर, पत्रालय-
अख्तियारपुर, थाना-सरायगंज जिला-समस्तीपुर,
भारतीय नागरिक। जो इसके आगे क्रेता/ लेख्यधारी
के रूप में वर्णित हैं। (जिनके साथ-साथ उनके
उत्तराधिकारी, वंशज, अधिन्यासी, हितबद्ध तथा द्वितीय
पक्ष के हित में प्रशासकों को शामिल किया गया है)
जिन्हें इसमें द्वितीय पक्ष कहा गया है।

(3) लेख्य प्रकार :-

निर्विवाद विक्रय पत्र यानि केवाला वयला
कलामी (DEED OF ABSOLUTE SALE)

(4) मूल्यांकन :-

मो0 6,87,500/- (छः लाख सतासी हजार पाँच
सौ) रूपया मात्र।

अजित कुमार
29/07/2015

7

**(5) सम्पत्ति का
सम्पूर्ण विवरण:-**

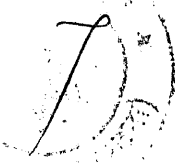
मवाजी 10 धुर (दस धुर) एराजी आवासीय कास्त
हकियत रैयती कायमी नगदी वाके मौजा रूसतमपुर
शाहपुर उर्फ सिकन्दरपुर जो मोदी प्लास्टीक से
दक्षिण स्थित है परगना फुलवारी थाना वा सब
रजिस्ट्री दानापुर, सदर रजिस्ट्री वा जिला पटना,
जिसकी तौजी संख्या-5854 (पाँच हजार आठ सौ
चौवन), थाना नं0-17 (सतरह), खाता संख्या-196
(एक सौ छियानवे), सर्वे खेसरा प्लॉट सं0-524
(पांच सौ चौबीस) का अंश भाग जिसकी सलाना
लगान 0.50 पैसा अलावे शेष बजमीन्दारी बिहार
सरकार द्वारा अंचलाधिकारी दानापुर पटना है।

चौहददी

उत्तर : पार्ट प्लॉट नं0 524 अज खरीदार
वन्दना झा ।
दक्षिण : विक्की सिंह ।
पूरब : पार्ट प्लॉट नं0 524 शिवनाथ सिंह
पश्चिम : सर्वे प्लॉट नं0 526

अनन कुमार

29/07/2015



(4)

संदर्भ

यह कि खाना न०-5 में वर्णित सम्पति एवं अन्य दिगर सम्पति लेख्यकारी के मौरूसी खनदानी सम्पति है वो सर्वे खतियान में श्यामा सिंह का नाम दर्ज पया गया है श्यामा सिंह अपने दो पुत्र राम एकवाल सिंह वो रामाश्रय सिंह को सम्पूर्ण सम्पति पर वारिश जायज छोड़कर स्वर्गवास कर गये बाद स्वर्गवास अपने पिता के उक्त राम एकवाल सिंह वो रामाश्रय सिंह ने खाने नं० 5 में वर्णित सम्पति एवं अन्य दिगर सम्पति पर काबिज दखिल होकर आपस में खानगी बटवारा द्वारा बट गये बटवारा के अनुसार रामाश्रय सिंह अपने दो पुत्र शिवनाथ सिंह वो विश्वनाथ प्रसाद को वारिश जायज छोड़कर स्वर्गवास कर गये बाद स्वर्गवास अपने पिता के उक्त विश्वनाथ प्रसाद वो शिवनाथ सिंह खाने नं० 5 में वर्णित सम्पति एवं अन्य दिगर सम्पति पर काबिज दखिल होकर विश्वनाथ प्रसाद अपने पुत्र लेख्यकारी अरूण कुमार को अपने हिस्से की सम्पति पर वारिश जायज छोड़कर स्वर्गवास कर गये बाद स्वर्गवास अपने पिता के उक्त लेख्यकारी अरूण कुमार ने अपने चाचा शिवनाथ सिंह के साथ खाने न० 5 में वर्णित सम्पति पर काबिज दखिल होकर आपस में खानगी बटवारा दिनांक 3.06.2014 ई० को बट गये बटवारा के अनुसार खाने नं० 5 में वर्णित सम्पति एवं अन्य दिगर सम्पति पर वहैसियत सम्पति के मूल स्वामी हकदार वो दखलेकार होकर वो रहकर सम्पति के उत्पतित आय को अपने उपयोग वो उपभोग में लाते रहे हैं वो हैं वो लेख्यकारी का नाम वसिरिस्ता बिहार सरकार के जमीन्दारी विभाग के जमाबन्दी रैयत संख्या 5028/1 में दर्ज पाया गया है ।

लेख्यकारी को तत्काल खरीदने अन्य सम्पति एवं अन्य जरूरतों की पूर्ति हेतु रूपयों की अत्यन्त आवश्यकता है और जब तक खाने संख्या 5 में वर्णित सम्पति की बिक्री लेख्यकारी नहीं करते हैं, तबतक

अरूण कुमार
29/07/2015

7

(5)

रूपयों का शीघ्र प्रबंध करना लेख्यकारी के वास्ते वर्तमान आय से प्रायः मुश्किल है ।

अतएव लेख्यकारी ब्रह्मसिंघत सम्पत्ति के मूल स्वामी वो हकदार वो दखलकार होकर वो रहकर अपने तन मन की स्वस्थतावस्था में अपना सम्पूर्ण लाभ हानि को भली भाँति समझ बुझकर अपने शुभचिन्तकों एवं कानूनी सलाहकारों से परामर्श इत्यादि लेकर बिना किसी बाहरी दबाव वो डराव वो धमकाव के अपने समस्त ज्ञानेन्द्रियों के साथ खाने नं०- 5 में वर्णित सम्पत्ति को समयानुसार उचित मूल्य मो० 6,87,500/- (छः लाख सतासी हजार पाँच सौ) रूपया मात्र में बदस्त लेख्यधारी खाना नं०-2 को बेचा वो बैय ला कलामी किया । वो लेख्य निष्पादन का एकरार सहर्ष स्वीकार किया।

यह कि मूल्य के कुल रूपयों को लेख्यकारी इस वशिका पर हस्ताक्षर के समय खरीदार पक्ष से नगद वसूल पाकर एकरार सहर्ष स्वीकार किया । अब लेख्यकारी को एक नया पैसा भी क्रेता पक्ष के यहाँ बाकी न रहा ना कभी होगा।

खाने नं० 5 में वर्णित सम्पत्ति में जितना भी हक वो दखल कब्जा आज तक लेख्यकारी या उनके उत्तराधिकारी को प्राप्त था या भविष्य में प्राप्त होता रहता वह सब कुल हक वो दखल कब्जा आज के दिन से मूल्य के कुल रूपयों के बदले हस्तांतरित होकर खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारी को प्राप्त हुआ वो भविष्य में प्राप्त होता रहेगा । खरीदार खाने नं० 5 में वर्णित सम्पत्ति पर ब्रह्मसिंघत सम्पत्ति के मूल सर्वाधिकारी वा हकदार वो दखलकार होकर वो रहकर जायदाद मजकुर को जिस प्रकार से चाहे अपने उपयोग वो उपभोग में लावे वो नाम अपनी वजाय लेख्यकारी के वसिरिस्ता बिहार सरकार के जमीन्दारी विभाग में इस बिक्रय पत्र के माध्यम से नामांकित करा लवेंगे । उस वक्त लेख्यकारी या उनके उत्तराधिकारी को किसी प्रकार का कोई उजूर वो एतराज न है वो ना कभी होगा वो यदि

अलग कुमार
29/07/2015

7

(6)

लेख्यकारी या उनके उत्तराधिकारी किसी गलत बयान से किसी किस्म के दावा या उजूरदारी निस्वत एराजी मजकुर या जरे सम्मन के करें तो उनकी उजूरदारी या दावा बमोकावले वशिका बिक्रय पत्र के रद्द वो गैर कानूनी होगा वो किसी भी अदालत में कानूनी कारवाई करने योग्य नहीं होगा।

लेख्यकारी (विक्रेता) ने लेख्यधारी (क्रेता) को विश्वास दिलाए है कि खाने नं० 5 में वर्णित सम्पति हर प्रकार के अधिकार सम्बन्धी इंझट वो ऋण भार सरकारी वो गैर सरकारी से पुर्णतः मुक्त वो पाक साफ है। वो आज तक लेख्यकारिणी या उनके उत्तराधिकारी ने खाने नं० 5 में वर्णित सम्पति को किसी अन्य के साथ किसी प्रकार का कोई हस्तांतरण नहीं किये हैं वो नहीं लिखें हैं। वो अगर खिलाफ किसी प्रकार का अधिकार संबंधी इंझट वो ऋण भार सरकारी वो गैर सरकारी खाने नं० 5 में वर्णित सम्पति में पाया जाये या लेख्यकारी या उनके उत्तराधिकारी के हस्तक्षेप के फलस्वरूप खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारी सम्पति के अंश या कुल भुभाग से बेदखल कर दिये जाये जिससे किसी किस्म के कोई क्षति खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारी को हो तो वैसी हालत में खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारी अपनी क्षतिपूर्ति वकदर बेदखली या जो जो ऋण भार उनको अदाय करना पड़े उसे लेख्यकारिणी से या उनके उत्तराधिकारी से या उनके अन्यान्य चलाचल सम्पति से कानूनी कारवाई करके वसूल वो बेवाक कर लेवेंगे। उस वक्त लेख्यकारी या उनके किसी भी उत्तराधिकारी को किसी प्रकार का उजूर वो एतराज न है वो न कभी होगा।

उत्तराधिकारी
29/07/2015

इस वास्ते यह वशिका निर्विवाद बिक्रय पत्र यानि केवाला बैय
ला कलामी लिख दिया कि समय पर काम आवे वो प्रमाण रहे ।

साक्ष्यगण

2.

अरुण कुमार
29/07/2015

Titendroq Kymark
29/7/15
CKEPK6947A

Online Bank challan checked

Online Bank of India

For Mr. Pratik D. /
Pratik D. /
A. 30.7.15
प्राकृतिक

~~2011/11/11~~

प्रारूपकर्त्ता

पक्षा १
गणक १२८ पृष्ठा ५
२९.७.२०१५

29.7.2015
G.L. Dey, Member, G.M.P.C., Patna
M.O. No. 48/02

इस्तावेज जाँचा
हस्ताक्षर

Sch. XIV.—F.No. 180 V

रसीद मालगुजारी

मांग सर्कल। नाम मौजा मय

आना वो थाना नम्बर

वि० सं० मु०, पन्ना।

परद मालकी / फरद यती। 107

नाम रसद मय वन्दितन राजमन्दी

तो सकुमत। नम्बर

४६००

पमपुल सि० १५८ जिला कुमा 0554323

अराजी नगदी

अराजी भावली

तफसील हिस्सा बिलगान भावली।

जोत का सालाना मांग मय तफसील (बकाया वो हाल) मौजुदा साल का।

298-76 मांग बाबत		सालाना	बकाया				हाल
			तीन वर्ष से ज्यादा	उरा वर्ष	2रा वर्ष	1ला वर्ष	
माल- }	(नकदी)	६					६
गुजारी }	(भावली)	६					६
सेस		६					६
* सुद		६					६
मुताफरकात		६					६
मीजान		२६					२६

तफसील अदायकारी।

298-76 अदायकारी बाबत		बकाया				मौताजया हाल	फाजिल
		तीन वर्ष से ज्यादा ।	उरा वर्ष ।	2रा वर्ष ।	1ला वर्ष ।		
माल—	(नकदी)					५	
गुजारी }	(भावली)					५	
सेस						५	
*सुद						५	
मुताफरकात						५	
मीजान अदायकारी						२६	

(1) मीजान कुल (लफजों में) —

(2) नाम देहिन्दा —

(3) कुल बकाया —

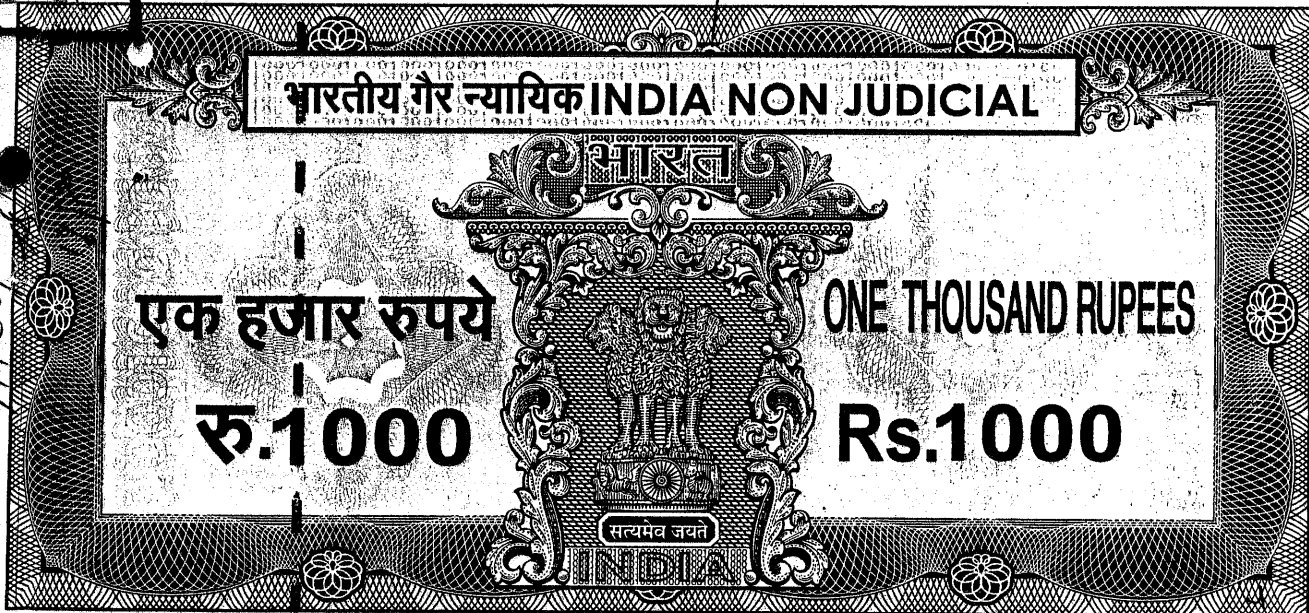
दस्खत वो तारीख अमला तहसील कुनिन्दा

* खास महाल का बकाया मालगुजारी पर (सेवाय ऐसे बकायों पर जिन पर कि सर्टिफिकेट जारी हो) शुद्ध नहीं लिया जाता है।

वि.स.गु (राज.सं.) 1-2011

दा. ० का. ० का. ० २६/१९-१६

[Signature] 26/8/16



बिहार BIHAR

5112

09.10.2015

1000/-

पृष्ठ संख्या

S 750434

Serial No. 11015

Govt. of Bihar

Sub Registry Office, Danapur

Summary of Endorsement

This document was presented for registration on 14/10/2015 by Arun Kumar. A Stamp Duty of Rs. 31805/- and other Fees of Rs. 8700/- has been paid in it.

The document was found admissible. The Names, Photographs, Fingerprints and Signatures of the Executants and their Identifier, who have admitted execution before me, are affixed on the reverse page.

The document has been registered as Deed No. 10794 in Book No. 1, Volume No. 216 on pages from 108 to 119 and has been preserved in total 12 pages in C.D. No. 34 / Year 2015

14/10/2015

Date: 14/10/2015

Token No. 11100/2015

Signature with Date
(Dhananjay Kumar Rao)
Registering Officer, Danapur

विक्रय-पत्र

(DEED OF ABSOULTE SALE)

(1) नाम लेख्यकारी:- श्री अरूण कुमार पिता का नाम स्व०

विश्वनाथ प्रसाद, निवास स्थान-नासरीगंज,

थाना-दानापुर, पत्रालय-दीघा, जिला-पटना,



सही - अरूण कुमार एवं विश्वनाथ प्रसाद
का नाम पर
14/10/2015

Sub District Registry Office, Danapur

Token Number 11100

Reg. Year 2015

Serial Number 11015

Deed Number 10794

PresType Name

Claimant Nibha Karan

Sig. *Nibha Karan*
14/10/15

Photo



Thumb



Index



Middle



Ring



Little



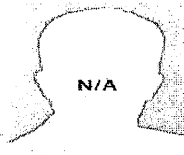
Presented By Arun Kumar

Sig. *अरुण कुमार*
14/10/2015



Executant Arun Kumar

Sig. *अरुण कुमार*
14/10/2015



Identified By Sadanand Kumar

Sig. *Sadanand Kumar*
14/10/15



SCORE Ver.3.0

Powered by I²foSystem and Solutions, Patna

Biometric Captured By 2802sop007



अरुण कुमार
14/10/2015

-: 2 :-

हाल निवास स्थान-20 अविनाश नगर बरखेड़ा पठानी
हुजुर भेल भोपाल हुजुर-462022, मध्य प्रदेश भारतीय
नागरिक जो इसके आगे विक्रेता/ लेख्यकारी के
रूप में वर्णित हैं। (जिनके साथ-साथ उनके
उत्तराधिकारी, वंशज, अधिन्यासी, हितबद्ध तथा प्रथम
पक्ष के हित में प्रशासको को शामिल किया गया है)

जिन्हें इसमें प्रथम पक्ष कहा गया है।

(2) नाम लेख्यधारिणी:- श्रीमती निभा कर्ण पति का नाम श्री आलोक
रंजन, निवास स्थान-सिपारा रोड, थाना बेउर,
पत्रालय-ढेलवाँ, जिला-पटना, बिहार, भारतीय नागरिक
जो इसके आगे क्रेता/ लेख्यधारिणी के रूप में
वर्णित हैं। (जिनके साथ-साथ उनके उत्तराधिकारी,
वंशज, अधिन्यासी, हितबद्ध तथा द्वितीय पक्ष के हित
में प्रशासको को शामिल किया गया है) जिन्हें इसमें
द्वितीय पक्ष कहा गया है।

(3) लेख्य प्रकार :-

निर्विवाद विक्रय पत्र यानि केवाला वयला
कलामी (DEED OF ABSOLUTE SALE)

(4) मूल्यांकन :-

मो0 4,13,000/- (चार लाख तेरह हजार) रूपया
मात्र।



आलोक कुमार
14/10/2015

हाल निवास स्थान-20 अविनाश नगर बरखेड़ा पठानी
हुजुर भेल भोपाल हुजुर-462022, मध्य प्रदेश भारतीय
नागरिक जो इसके आगे विक्रेता/ लेख्यकारी के
रूप में वर्णित हैं। (जिनके साथ-साथ उनके
उत्तराधिकारी, वंशज, अधिन्यासी, हितबद्ध तथा प्रथम
पक्ष के हित में प्रशासको को शामिल किया गया है)

जिन्हें इसमें प्रथम पक्ष कहा गया है।

(2) नाम लेख्यधारिणी:-

(Smt. Nibha Keshari)

अरुण कुमार

श्रीमती निभा कर्ण पति का नाम श्री आलोक
रंजन, निवास स्थान-सिपारा रोड, थाना बेउर,
पत्रालय-ढेलवाँ, जिला-पटना, बिहार, भारतीय नागरिक
जो इसके आगे क्रेता/ लेख्यधारिणी के रूप में
वर्णित हैं। (जिनके साथ-साथ उनके उत्तराधिकारी,
वंशज, अधिन्यासी, हितबद्ध तथा द्वितीय पक्ष के हित
में प्रशासको को शामिल किया गया है) जिन्हें इसमें
द्वितीय पक्ष कहा गया है।

(3) लेख्य प्रकार :-

निर्विवाद विक्रय पत्र यानि केवाला वयला
कलामी (DEED OF ABSOLUTE SALE)

(4) मूल्यांकन :-

मां0 4,13,000/- (चार लाख तेरह हजार) रूपया
मात्र।

अरुण कुमार
14/10/2015



(5) सम्पत्ति का
सम्पूर्ण विवरण:-

मवाजी 6 धुर (छः धुर) एराजी आवासीय कास्त
हकियत रैयती कायमी नगदी वाके मौजा रूसतमपुर
शाहपुर उर्फ सिकन्दरपुर जो मोदी प्लास्टिक से
दक्षिण स्थित है परगना फुलवारी थाना वा सब
रजिस्ट्री दानापुर, सदर रजिस्ट्री वो जिला पटना,
जिसकी तौजी संख्या-5854 (पाँच हजार आठ सौ
चौवन), थाना नं०-17 (सतरह), खाता संख्या-196
(एक सौ छियानवे), सर्वे खेसरा प्लॉट सं०-524
(पाँच सौ चौबीस) का अंश भाग जिसकी सलाना
लगान 0.50 पैसा अलावे शेष बजमीन्दारी बिहार
सरकार द्वारा अंचलाधिकारी दानापुर पटना है।

चौहददी

उत्तर : पार्ट प्लॉट नं० 524 नीज ।
दक्षिण : पार्ट प्लॉट नं० 524 वन्दना कुमारी।
पूरब : पार्ट प्लॉट नं० 524 शिवनाथ सिंह।
पश्चिम : सर्वे प्लॉट नं० 526

3/10/2015
14/10/2015



संदर्भ

यह कि खाना न०-5 में वर्णित सम्पति एवं अन्य दिगर सम्पति लेख्यकारी के मौरूसी खनदानी सम्पति है वो सर्वे खतियान में श्यामा सिंह का नाम दर्ज पया गया है श्यामा सिंह अपने दो पुत्र राम एकवाल सिंह वो रामाश्रय सिंह को सम्पूर्ण सम्पति पर वारिश जायज छोड़कर स्वर्गवास कर गये बाद स्वर्गवास अपने पिता के उक्त राम एकवाल सिंह वो रामाश्रय सिंह ने खाने न० 5 में वर्णित सम्पति एवं अन्य दिगर सम्पति पर काबिज दखिल होकर आपस में खानगी बटवारा द्वारा बट गये बटवारा के अनुसार रामाश्रय सिंह अपने दो पुत्र शिवनाथ सिंह वो विश्वनाथ प्रसाद को वारिश जायज छोड़कर स्वर्गवास कर गये बाद स्वर्गवास अपने पिता के उक्त विश्वनाथ प्रसाद वो शिवनाथ सिंह खाने न० 5 में वर्णित सम्पति एवं अन्य दिगर सम्पति पर काबिज दखिल होकर विश्वनाथ प्रसाद अपने पुत्र लेख्यकारी अरूण कुमार को अपने हिस्से की सम्पति पर वारिश जायज छोड़कर स्वर्गवास कर गये बाद स्वर्गवास अपने पिता के उक्त लेख्यकारी अरूण कुमार ने अपने चाचा शिवनाथ सिंह के साथ खाने न० 5 में वर्णित सम्पति पर काबिज दखिल होकर आपस में खानगी बटवारा दिनांक 3.06.2014 ई० को बट गये बटवारा के अनुसार खाने न० 5 में वर्णित सम्पति एवं अन्य दिगर सम्पति पर वहैसियत सम्पति के मूल स्वामी हकदार वो दखलकार होकर वो रहकर सम्पति के उत्पतित आय को अपने उपयोग वो उपभोग में लाते रहे हैं वो हैं वो लेख्यकारी का नाम वसिरिस्ता बिहार सरकार के जमीन्दारी विभाग के जमाबन्दी रैयत संख्या 5028/1 में दर्ज पाया गया है ।

लेख्यकारी को तत्काल खरीदने अन्य सम्पति एवं अन्य जरूरतों की पूर्ति हेतु रूपयों की अत्यन्त आवश्यकता है और जब तक खाने संख्या 5 में वर्णित सम्पति की बिक्री लेख्यकारी नहीं करते हैं, तबतक



अरूण कुमार
14/10/2015

रूपयों का शीघ्र प्रबंध करना लेख्यकारी के वास्ते वर्तमान आय से प्रायः मुश्किल है ।

अतएव लेख्यकारी बहैसियत सम्पत्ति के मूल स्वामी वो हकदार वो दखलकार होकर वो रहकर अपने तन मन की स्वस्थतावस्था में अपना सम्पूर्ण लाभ हानि को भली भांति समझ बुझकर अपने शुभचिन्तकों एवं कानूनी सलाहकारों से परामर्श इत्यादि लेकर बिना किसी बाहरी दबाव वो डराव वो धमकाव के अपने समस्त ज्ञानेन्द्रियों के साथ खान नं०- 5 में वर्णित सम्पत्ति को समयानुसार उचित मूल्य मो० 4,13,000/- (चार लाख तेरह हजार) रूपया मात्र में बदस्त लेख्यधारिणी खाना नं०-2 को बेचा वो बैय ला कलामी किया। वो लेख्य निष्पादन का एकरार सहर्ष स्वीकार किया।

यह कि मूल्य के कुल रूपयों को लेख्यकारी इस वशिका पर हस्ताक्षर के समय खरीदार पक्ष से नगद वसूल पाकर एकरार सहर्ष स्वीकार किया । अब लेख्यकारी को एक नया पैसा भी क्रेता पक्ष के यहाँ बाकी न रहा ना कभी होगा।

खाने नं० 5 में वर्णित सम्पत्ति में जितना भी हक वो दखल कब्जा आज तक लेख्यकारी या उनके उत्तराधिकारी को प्राप्त था या भविष्य में प्राप्त होता रहता वह सब कुल हक वो दखल कब्जा आज के दिन से मूल्य के कुल रूपयों के बदले हस्तांतरित होकर खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारी को प्राप्त हुआ वो भविष्य में प्राप्त होता रहेगा । खरीदार खाने नं० 5 में वर्णित सम्पत्ति पर बहैसियत सम्पत्ति के मूल सर्वाधिकारी वी हकदार वो दखलकार होकर वो रहकर जायदाद मजकुर को जिस प्रकार से चाहे अपने उपयोग वो उपभोग में लावे वो नाम अपनी वजाय लेख्यकारी के वसिरिस्ता बिहार सरकार के जमीन्दारी विभाग में इस बिक्रय पत्र के माध्यम से नामांकित करा लवेंगे । उस वक्त लेख्यकारी या उनके उत्तराधिकारी को किसी प्रकार का कोई उजूर वो एतराज न है वो न कभी होगा वो यदि

अलग पक्ष
14/10/2015



(6)

लेख्यकारी या उनके उत्तराधिकारी किसी गलत बयान से किसी किस्म के दावा या उजूरदारी निस्वत एराजी मजकुर या जरे सम्मन के करें तो उनकी उजूरदारी या दावा बमोकावले वशिका बिक्रय पत्र के रद्द वो गैर कानूनी होगा वो किसी भी अदालत में कानूनी कारवाई करने योग्य नहीं होगा।

लेख्यकारी (विक्रेता) ने लेख्यधारिणी (क्रेता) को विश्वास दिलाए है कि खाने नं० 5 में वर्णित सम्पति हर प्रकार के अधिकार सम्बन्धी झंझट वो ऋण भार सरकारी वो गैर सरकारी से पुर्णतः मुक्त वो पाक साफ है। वो आज तक लेख्यकारिणी या उनके उत्तराधिकारी ने खाने नं० 5 में वर्णित सम्पति को किसी अन्य के साथ किसी प्रकार का कोई हस्तांतरण नहीं किये हैं वो नहीं लिखें हैं। वो अगर खिलाफ किसी प्रकार का अधिकार संबंधी झंझट वो ऋण भार सरकारी वो गैर सरकारी खाने नं० 5 में वर्णित सम्पति में पाया जाये या लेख्यकारी या उनके उत्तराधिकारी के हस्तक्षेप के फलस्वरूप खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारी सम्पति के अंश या कुल भुभाग से बेदखल कर दिये जाये जिससे किसी किस्म के कोई क्षति खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारी को हो तो वैसी हालत में खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारी अपनी क्षतिपूर्ति वकदर बेदखली या जो जो ऋण भार उनको अदाय करना पड़े उसे लेख्यकारिणी से या उनके उत्तराधिकारी से या उनके अन्यान्य चलाचल सम्पति से कानूनी कारवाई करके वसूल वो बेवाक कर लेंवेंगे। उस वक्त लेख्यकारी या उनके किसी भी उत्तराधिकारी को किसी प्रकार का उजूर वो एतराज न है वो न कभी होगा।

उत्तराधिकारी
14/10/2015



इस वास्ते यह वशिका निर्विवाद बिक्रय पत्र यानि केवाला बैय
ला कलामी लिख दिया कि समय पर काम आवे वो प्रमाण रहे ।

(समाप्त)

साक्ष्यगण

1. सदानन्द कुमार
पिता - दयानन्द सिंह
ग्राम - शनीपुर, पोस्ट - कोइरा
धाना - पालीगंज, जिला पटना
2. 14/10/2015

लेख्यकारी का हस्ताक्षर

अरुण कुमार

14/10/2015

लेख्यधारिणी का हस्ताक्षर

Nibha Karan

14/10/15

Kundan Kumar The
S/o Late Bijendra The
Vill + Post - Mahraul
Vaya - Shamjhpur
Madhubani
14/10/15

केवा द्वारा दिखाना गया जमीन
वकालत में कावालीय परती है
मातम
15-X-15

Online Bank challan checked

प्रारूपकर्ता

गार के 2 बा (पुला)
14.10.2015

इस्ताफेज मैलक कनपुर, पटना
पाठ नं 48/02



प्रमाणित किया

14/10/15

नाम लेख्यकार:-

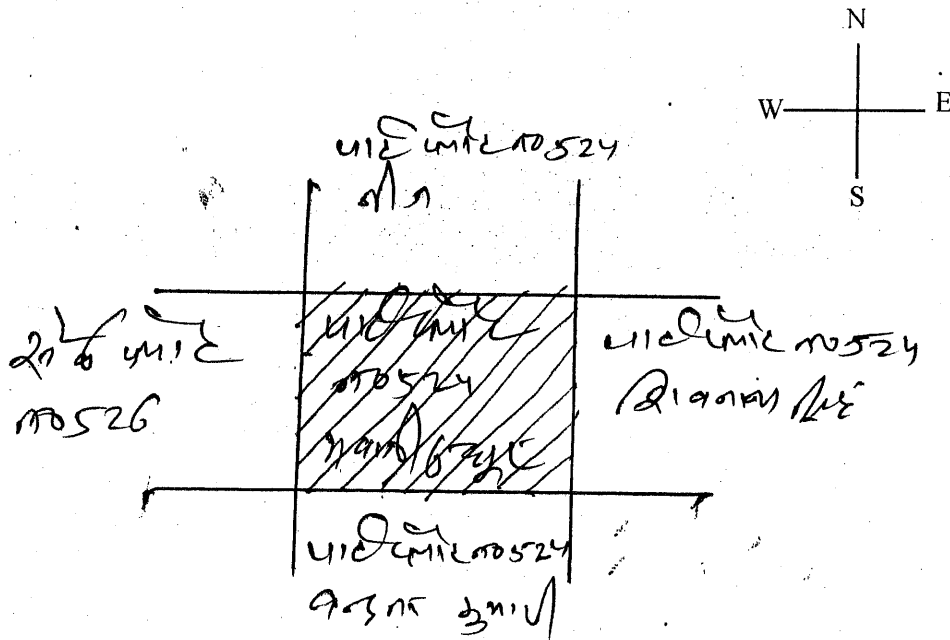
श्री अरूण कुमार पिता का नाम स्व० विश्वनाथ प्रसाद, निवास स्थान-नासरीगंज, थाना-दानापुर, पत्रालय-दीघा, जिला-पटना, हाल निवास स्थान-20 अविनाश नगर बरखेड़ा पठानी हुजुर भेल भोपाल हुजुर-462022, मध्य प्रदेश भारतीय नागरिक।

(2) नाम लेख्यधारिणी:-

श्रीमती निभा कर्ण पति का नाम श्री आलोक रंजन, निवास स्थान-सिपारा रोड, थाना बेउर, पत्रालय-ढेलवाँ, जिला-पटना, बिहार, भारतीय नागरिक भारतीय नागरिक

(3) सम्पत्ति का सम्पूर्ण विवरण:-

मवाजी 6 धुर मौजा रूसतमपुर शाहपुर उर्फ सिकन्दरपुर थाना दानापुर, जिला पटना, जिसकी तौजी संख्या-5854, थाना नं०-17, खाता संख्या-196, सर्वे खेसरा प्लॉट सं०-524 प्रमाणित किया जाता है कि यह नजरी नक्शा 50 मीटर त्रिज्या के अन्दर पड़ने वाली सभी भूखण्डों को दर्शाया गया है।



विक्रेता का हस्ताक्षर

अरूण कुमार

14/10/2015



क्रेता का हस्ताक्षर

Nibha Karna

14/10/15

दस्तावेजों के निबंधन के लिए जमा किये जाने वाले स्टाम्प शुल्क/निबंधन शुल्क एवं भूस्वामी के निबंधन शुल्क के भुगतान के लिए बैंक चालान

- पक्षकार का नाम/पता- निमा करण जी श्री ध्यालोड रंगन
(जिसकी ओर से जमा किया जा रहा है)- खिपार २२५-५२००, बाना-३८, पिन-५२०००
- दस्तावेज का प्रकार- विक्रय पत्र, एकीकरण, दाखल, कतिबतनामा, विकास एडवाइस, जीएम, १३५०, १३५०, १३५०
- निबंधन कार्यालय- अवर निबंधन कार्यालय दानापुर
- बैंक का नाम एवं शाखा- भारतीय स्टेट बैंक दानापुर
- भुगतान की जाने वाली राशी का विवरण :

भुगतान का भेद एवं शीर्ष	रकम	कुल रकम
स्टाम्प शुल्क-मुख्य शीर्ष -0030-स्टाम्प एवं पंजीकरण-उप-मुख्य शीर्ष 02-स्टाम्प गी व्यापिक सपु शीर्ष -103- दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क लगाया उप शीर्ष 0001 सकल प्राप्तिप्राप्तिकाई -75 49 सकल प्राप्तिप्राप्तिकाई विपत्र कोड -R0030021030001, A/c No.-10963226587	30805	30805
निबंधन शुल्क-मुख्य शीर्ष -0030-स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क उप मुख्य शीर्ष -03 पंजीकरण शुल्क, सपु शीर्ष -104- दस्तावेजों का पंजीकरण शुल्क-उप शीर्ष -0001, प्राप्तिप्राप्तिकाई -75 49 सकल प्राप्तिप्राप्तिकाई विपत्र कोड -R0030031040001, A/c No.-10963226576	7850	7850
भूस्वामी शुल्क-मुख्य शीर्ष -0029- भू राजस्व सपु शीर्ष -300- अन्य प्राप्तिप्राप्तिकाई-उप शीर्ष -0006- अन्य भर्षे - प्राप्तिप्राप्तिकाई -75 49 भूमि निबंधन शुल्क से आय विपत्र कोड- R0029008000006, A/c No.-10963226598	550	550

भुगतान का माध्यम : नगद/ चेक/ द्राफ्ट

कुल योग

कुल राशि शब्दों में

स्थान- दानापुर

तारीख- 12/11/15

- चेक/द्राफ्ट का विवरण पीठ पर अंकित कर दें।
- चेक/द्राफ्ट की राशि अनंतरित होने के पश्चात ही मान्य होगी

जमाकर्ता का नाम
एवं हस्ताक्षर

FOR USE OF THE BANK

स्कॉल नं०

संख्या 05 में दिये गए विवरण के अनुसार

रकम प्राप्त किया

तारीख

हस्ताक्षर काल

शब्दों में

अधिकृत पराधिकारी का

हस्ताक्षर एवं मुहर

निबंधन शुल्क जमा करने का विवरण

एस्को लेखा सं० : A/c No. 30978446198

जमा करने की तिथि :

बैंक स्कॉल सं० :

* (दस्तावेज के पृष्ठ की संख्या +2) X ₹० 25/-



Sch. XIV.—F.No. 180 V

रसाद मालगुजारी

नाम राकल। नाम मौजा मय :

थाना वों थाना नम्बर

बि०स०मु० पटना।

करद मालकी/करद रैयती।

नाम रैयत मय दलित्वायत जमाबन्दी

वों सन्तान। नम्बर

X

107

8822

वमपल 96 0554322

अराजी नगदी

अराजी भावली

तफसील हिसाब लगान भावली।

5.99-44 जी - खाला/क रजम ला विपारा तऽ

जोत का सालाना मांग मय तफसील (बकाया वों हाल) मौजुदा साल का

मांग बाबत	सालाना	बकाया				हाल
		तीन वर्ष से ज्यादा।	3रा वर्ष।	2रा वर्ष।	1ला वर्ष।	
माल- (नकदी)	५	[Handwritten signature]				५
गुजारी (भावली)	५					५
रस	५					५
*सुद	५					५
मुतफरकात	५					५
मीजान	२५					२५

तफसील अदायकारी।

अदायकारी बाबत	सालाना	बकाया				मौतलबा हाल	फाजिल
		तीन वर्ष से ज्यादा।	3रा वर्ष।	2रा वर्ष।	1ला वर्ष।		
माल- (नकदी)	५	[Handwritten signature]				५	[Handwritten signature]
गुजारी (भावली)	५					५	
रस	५					५	
*सुद	५					५	
मुतफरकात	५					५	
मीजान अदायकारी	२५					२५	

- (1) मीजान कुल (लफजों में) — ५५५५ ५५५५
 (2) नाम देहिन्दा — ५
 (3) कुल बकाया — ५

दस्खत वों तारीख अमला तहसील कुनिन्दा

*खास महाल का बकाया मालगुजारी पर (सेवाय ऐसे बकायों पर जिन पर कि सर्टिफिकेट जारी हो) अंग नहीं लिया जाता है।

बि.स.मु. (रा.स.स.) 1-2011

22/6/98-96

21/6/16

आदेश पत्रक

सूची १४ फरम सं० ५६२

(देखें अभिलेख 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक संख्या

ता०

हल्का

अंचल का नाम

2275/11-17

जिला

आदेश की
क्र. सं. और
ता०

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कार्यवाई के बारे में
टिप्पणी तारीख सहित

१

२

३

श्री ~~महाराज~~ ~~जिला~~ ~~फरम~~

बल्द जो - खाला के रज्जन

ग्राम ~~सिपारा~~ ~~ता०~~ ~~धाना~~ ~~जिला~~ ~~पटवा~~ ने

केवाला सं० 90678 दिनांक 8/9/92 के आधार पर

निम्नांकित जमीन पर दाखिल खारिज हेतु आवेदन-पत्र दाखिल किया है।

मौजा का नाम तौजी नं० खाता खसरा एराजी

सिफ-955

976

228

5.19 च

मूल आवेदन - पत्र हल्का कर्मचारी को अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन हेतु दे
दें। महाल पर सूचना जारी कर आपूर्ति की माँग करें। अभिलेख दिनांक 6/8/116
को उपस्थित करें। लिखाया एवं शुद्ध किया।

अंचलाधिकारी

अंचलाधिकारी

महाल पर तामिला नोटिस प्राप्त है। कोई आपति प्राप्त नहीं है। कर्मचारी का प्रतिवेदन अंचल
निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त हैं उन लोगो ने आवेदन के नाम दाखिल करने की अनुशंसा
किए हैं फलतः उनके अनुशंसा के आधार पर दाखिल खारिज की दिया जाता है लिखाया एवं शुद्ध किया शुद्धपत्र निर्गत करें।

अंचलाधिकारी

अंचलाधिकारी

Authorization No. 22/17

COURT FEE

SOVT. OF BIHAR
REGISTRATION EXCISE & PROVISIONAL
SATNA SCORE PATNA

दाखिल खारिज - प्रतिवेदन

अंचल- दानापुर

जिला-पटना

साल २०१६-१७ हल्का नम्बर-६

राजस्व थाना नम्बर-१६

प्राप्त का जरिया = स्वतः

केबाल-906✓ तिथि-8/90/78

तिथि- ४/१०/१६

पृष्ठ नम्बर २२७५

104-4292

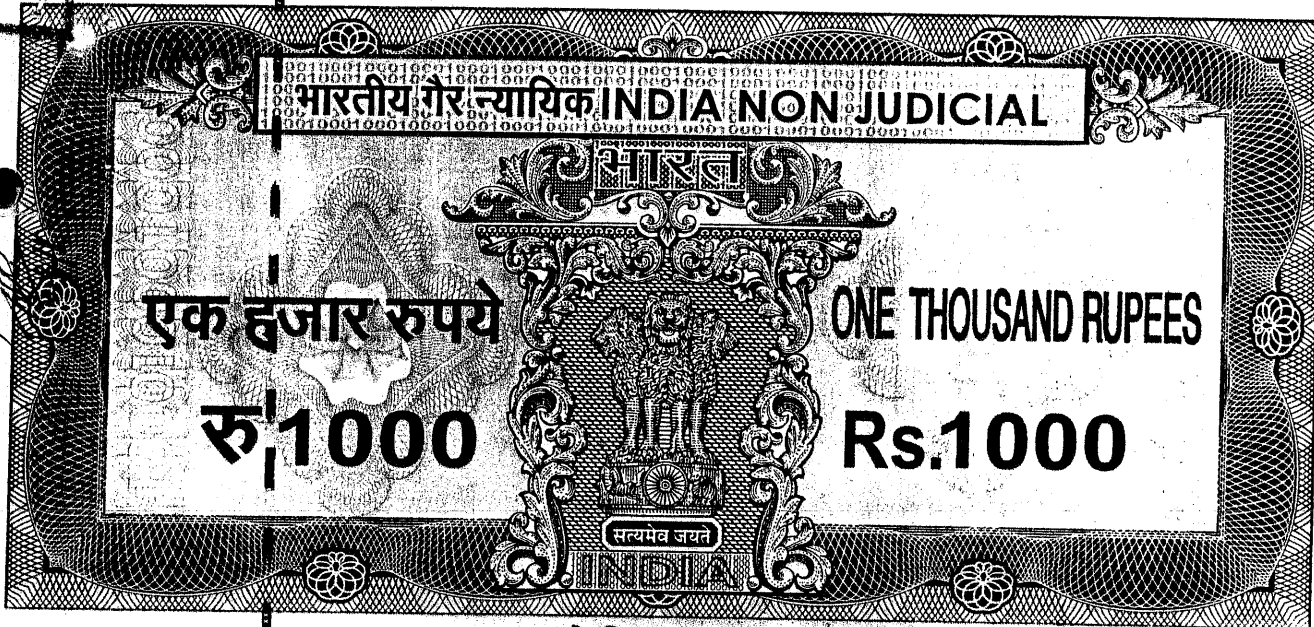
10 में जमीन रकबा—

— ५२१ —

जमाबंदी रयत का नाम	खाता	प्लॉट	रकबा	लगान	जमाबंदी नम्बर
आनंद कुमार पिता - स्व. विद्वानाथ प्रसाद	२० १२६	१११ ४१ २२४	०.०४५	४	२०२२ ७ आ. अ. महापंच आषट्ठि जमीन की जमाबंदी विवेक के नाम से दफ्तर् हो जमीन में आमत मालीक, छपन, ३६ सेंस से मुक्त हो जमीन देवली हो एवं आषट्ठि के कान्हा में हो अतः आम, महल पर जमाबंदीपान्त का पत्र की तस्वीर नीचे लगा करती
बचा हुआ रकबा					
नया जमाबंदी रयत मीमली निवा कर्ण जो - आकाश रंजन सा - सिपाहा रा वामा - पंडित पिता - पटना	१२६	२२४	०.१५	४	

~~1. 1991~~

Col. J. A. Wilson
 1000 1/2 St. N. W.
 Washington, D. C.
 Dear Sir:
 I have the honor to acknowledge
 the receipt of your letter of the
 10th inst. and in reply to inform
 you that the same has been
 forwarded to the proper
 authorities for their consideration.
 Very respectfully,
 J. A. Wilson



बिहार BIHAR

3/85 27.7.2015 मूल्य 1000 पृष्ठ संख्या 1 S 655094

Serial No. 8145

Deed No. 7985

Govt. of Bihar
Sub Registry Office, Danapur
Summary of Endorsement

This document was presented for registration on 29/07/2015 by Arun Kumar
A Stamp Duty of Rs. 110000/- and other Fees of Rs. 28350/- has been paid in it.

The document was found admissible. The Names, Photographs, Fingerprints and Signatures of the
Executants and their Identifier, who have admitted execution before me, are affixed on the
reverse page.

The document has been registered as Deed No. 7985 in Book No. 1, Volume No. 160 on pages from
110 to 121 and has been preserved in total 12 pages in C.D. No. 25 / Year 2015

Date: 29/07/2015

Token No: 8177 / 2015

Signature with Date
(Dhananjay Kumar Rao)
Registering Officer, Danapur

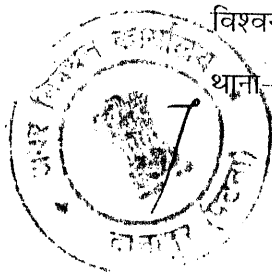
विक्रय-पत्र

(DEED OF ABSOLUTE SALE)

(1) नाम लेख्यकारी:- श्री अरूण कुमार पिता का नाम स्व(0)

विश्वनाथ प्रसाद, निवास स्थान-नासरीगंज,

थाना-दानापुर, पत्रालय-दीघा, जिला-पटना,



29/7/2015
अरुण कुमार
कानन पटेल
विश्वनाथ प्रसाद
29/07/2015

Sub District Registry Office, Danapur

Token Number 8177

Reg. Year 2015

Serial Number 8145

Deed Number 7985

PresType Name
Claimant Vandana Kumari

Sig. वन्दना कुमारी
29/7/2015

Presented By Arun Kumar

Sig. अरुण कुमार
29/07/2015

Executant Arun Kumar

Sig. अरुण कुमार
29/07/2015

Identified By Sadanand Kumar

Sig. सदानन्द कुमार
29/07/15

Photo	Thumb	Index	Middle	Ring	Little
					
					
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
					

SCORE Ver.3.0

Powered by InfoSystem and Solutions, Patna

Biometric Captured By 2802sop007



अरुण कुमार
29/07/2015



हाल निवास स्थान-20 अविनाश नगर बरखेड़ा पठानी
हुजुर भेल भोपाल हुजुर-462022, मध्य प्रदेश भारतीय
नागरिक जो इसके आगे विक्रेता/ लेख्यकारी के
रूप में वर्णित हैं। (जिनके साथ-साथ उनके
उत्तराधिकारी, वंशज, अधिन्यासी, हितबद्ध तथा प्रथम
पक्ष के हित में प्रशासको को शामिल किया गया है)
जिन्हें इसमें प्रथम पक्ष कहा गया है।

AHAPK799267

(2) नाम लेख्यधारिणी:-

श्रीमती वन्दना कुमारी पति का नाम श्री इन्द्र
कुमार झा, निवास स्थान वो पत्रालय-महरैल,
भाया-झंझारपुर, थाना-रूद्रपुर, जिला-मधुबनी, बिहार,
भारतीय नागरिक जो इसके आगे क्रेता/लेख्यधारिणी
के रूप में वर्णित हैं। (जिनके साथ-साथ उनके
उत्तराधिकारी, वंशज, अधिन्यासी, हितबद्ध तथा द्वितीय
पक्ष के हित में प्रशासको को शामिल किया गया है)
जिन्हें इसमें द्वितीय पक्ष कहा गया है।

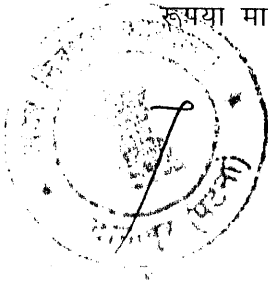
(3) लेख्य प्रकार :-

निर्विवाद विक्रय पत्र यानि केवाला वयला
कलामी (DEED OF ABSOLUTE SALE)

(4) मूल्यांकन :-

मो0 13,75,000/- (तेरह लाख पचहत्तर हजार)

रुमया मात्र।



उत्तराधिकारी
29/07/2015

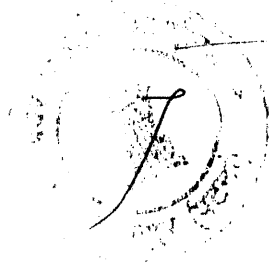
**(5) सम्पत्ति का
सम्पूर्ण विवरण:-**

मवाजी 1 कट्ठा (एक कट्ठा) एराजी आवासीय
कास्त हकियत रैयती कायमी नगदी वाके मौजा
रूसतमपुर शाहपुर उर्फ सिकन्दरपुर जो मोदी
प्लास्टीक से दक्षिण स्थित है परगना फुलवारी थाना
वा सब रजिस्ट्री दानापुर, सदर रजिस्ट्री वो जिला
पटना, जिसकी तौजी संख्या-5854 (पाँच हजार
आठ सौ चौवन), थाना नं0-17 (सतरह), खाता
संख्या-196 (एक सौ छियानवे), सर्वे खेसरा प्लॉट
सं0-524 (पांच सौ चौबीस) का अंश भाग जिसकी
सलाना लगान 0.50 पैसा अलावे शेष बजमीन्दारी
बिहार सरकार द्वारा अंचलाधिकारी दानापुर पटना है।

चौहददी

उत्तर : पार्ट प्लॉट नं0 524 नीज लेख्यकारी
दक्षिण: पार्ट प्लॉट नं0 524 अज खरीदार
दीपक कुमार एवं कुन्दन कुमार झा
पूरब : पार्ट प्लॉट नं0 524 शिवनाथ सिंह
पश्चिम: सर्वे प्लॉट नं0 526

आनंद कुमार
29/07/2015

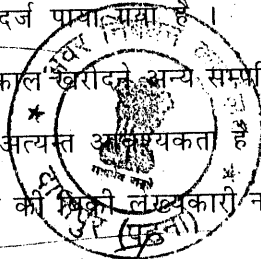


(4)

संदर्भ

यह कि खाना न0-5 में वर्णित सम्पति एवं अन्य दिगर सम्पति लेख्यकारी के मौरूसी खनदानी सम्पति है वो सर्वे खतियान में श्यामा सिंह का नाम दर्ज पया गया है श्यामा सिंह अपने दो पुत्र राम एकवाल सिंह वो रामाश्रय सिंह को सम्पूर्ण सम्पति पर वारिश जायज छोड़कर स्वर्गवास कर गये बाद स्वर्गवास अपने पिता के उक्त राम एकवाल सिंह वो रामाश्रय सिंह ने खाने नं0 5 में वर्णित सम्पति एवं अन्य दिगर सम्पति पर काबिज दखिल होकर आपस में खानगी बटवारा द्वारा बट गये बटवारा के अनुसार रामाश्रय सिंह अपने दो पुत्र शिवनाथ सिंह वो विश्वनाथ प्रसाद को वारिश जायज छोड़कर स्वर्गवास कर गये बाद स्वर्गवास अपने पिता के उक्त विश्वनाथ प्रसाद वो शिवनाथ सिंह खाने नं0 5 में वर्णित सम्पति एवं अन्य दिगर सम्पति पर काबिज दखिल होकर विश्वनाथ प्रसाद अपने पुत्र लेख्यकारी अरूण कुमार को अपने हिस्से की सम्पति पर वारिश जायज छोड़कर स्वर्गवास कर गये बाद स्वर्गवास अपने पिता के उक्त लेख्यकारी अरूण कुमार ने अपने चाचा शिवनाथ सिंह के साथ खाने न0 5 में वर्णित सम्पति पर काबिज दखिल होकर आपस में खानगी बटवारा दिनांक 3.06.2014 ई0 को बट गये बटवारा के अनुसार खाने नं0 5 में वर्णित सम्पति एवं अन्य दिगर सम्पति पर वहैसियत सम्पति के मूल स्वामी हकदार वो दखलकार होकर वो रहकर सम्पति के उत्पतित आय को अपने उपयोग वो उपभोग में लाते रहे हैं वो हैं वो लेख्यकारी का नाम वसिरिस्ता बिहार सरकार के जमीन्दारी विभाग के जमाबन्दी रैयत संख्या 5028/1 में दर्ज पाया गया है।

लेख्यकारी को तत्काल खरीदने अन्य सम्पति एवं अन्य जरूरतों की पूर्ति हेतु रूपयों की अत्यस्त आवश्यकता है और जब तक खाने संख्या 5 में वर्णित सम्पति को विक्री लेख्यकारी नहीं करते हैं, तबतक



अरूण कुमार
29/07/2015

(5)

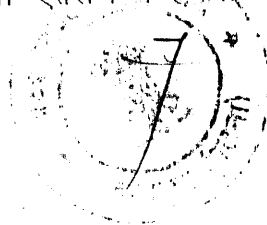
रूपयों का शीघ्र प्रबंध करना लेख्यकारी के वास्ते वर्तमान आय से प्रायः मुश्किल है ।

अतएव लेख्यकारी बहैसियत सम्पत्ति के मूल स्वामी वो हकदार वो दखलकार होकर वो रहकर अपने तन मन की स्वस्थतावस्था में अपना सम्पूर्ण लाभ हानि को भली भांति समझ बुझकर अपने शुभचिन्तकों एवं कानूनी सलाहकारों से परामर्श इत्यादि लेकर बिना किसी बाहरी दबाव वो डराव वो धमकाव के अपने समस्त ज्ञानेन्द्रियों के साथ खान नं०- 5 में वर्णित सम्पत्ति को समयानुसार उचित मूल्य मो० 13,75,000/- (तेरह लाख पच्चेतर हजार) रूपया मात्र में बदस्त लेख्यधारिणी खाना नं०-2 को बेचा वो ब्रैय ला कलामी किया । वो लेख्य निष्पादन का एकरार सहर्ष स्वीकार किया।

यह कि मूल्य के कुल रूपयों को लेख्यकारी इस वशिका पर हस्ताक्षर के समय खरीदार पक्ष से नगद वसूल पाकर एकरार सहर्ष स्वीकार किया । अब लेख्यकारी को एक नया पैसा भी क्रेता पक्ष के यहाँ बाकी न रहा ना कभी होगा।

खाने नं० 5 में वर्णित सम्पत्ति में जितना भी हक वो दखल कब्जा आज तक लेख्यकारी या उनके उत्तराधिकारी को प्राप्त था या भविष्य में प्राप्त होता रहता वह सब कुल हक वो दखल कब्जा आज के दिन से मूल्य के कुल रूपयों के बदले हस्तांतरित होकर खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारी को प्राप्त हुआ वो भविष्य में प्राप्त होता रहेगा । खरीदार खाने नं० 5 में वर्णित सम्पत्ति पर बहैसियत सम्पत्ति के मूल सर्वाधिकारी वा हकदार वो दखलकार होकर वो रहकर जायदाद मजकुर को जिस प्रकार से चाहे अपने उपयोग वो उपभोग में लावे वो नाम अपनी वजाय लेख्यकारी के वसिरिस्ता बिहार सरकार के जमीन्दारी विभाग में इस बिक्रय पत्र के माध्यम से नामांकित करा लवेंगे । उस वक्त लेख्यकारी या उनके उत्तराधिकारी को किसी प्रकार का कोई उजूर वो एतराज न है वो न कभी होगा वो यदि

उत्तराधिकार
29/07/2015

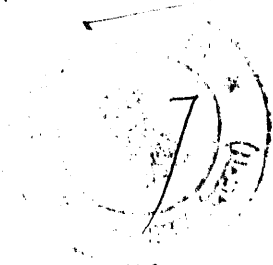


(6)

लेख्यकारी या उनके उत्तराधिकारी किसी गलत बयान से किसी किस्म के दावा या उजूरदारी निस्वत एराजी मजकुर या जरे सम्मन के करें तो उनकी उजूरदारी या दावा बमोकावले वशिका बिक्रय पत्र के रद्द वो गैर कानूनी होगा वो किसी भी अदालत में कानूनी कारवाई करने योग्य नहीं होगा।

लेख्यकारी (विक्रेता) ने लेख्यधारिणी (क्रेता) को विश्वास दिलाए है कि खाने नं० 5 में वर्णित सम्पति हर प्रकार के अधिकार सम्बन्धी इंज़ट वो ऋण भार सरकारी वो गैर सरकारी से पुर्णतः मुक्त वो पाक साफ है। वो आज तक लेख्यकारिणी या उनके उत्तराधिकारी ने खाने नं० 5 में वर्णित सम्पति को किसी अन्य के साथ किसी प्रकार का कोई हस्तांतरण नहीं किये हैं वो नहीं लिखें हैं। वो अगर खिलाफ किसी प्रकार का अधिकार संबंधी इंज़ट वो ऋण भार सरकारी वो गैर सरकारी खाने नं० 5 में वर्णित सम्पति में पाया जाये या लेख्यकारी या उनके उत्तराधिकारी के हस्तक्षेप के फलस्वरूप खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारी सम्पति के अंश या कुल भुभाग से बेदखल कर दिये जाये जिससे किसी किस्म के कोई क्षति खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारी को हो तो वैसी हालत में खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारी अपनी क्षतिपूर्ति वकदर बेदखली या जो जो ऋण भार उनको अदाय करना पड़े उसे लेख्यकारिणी से या उनके उत्तराधिकारी से या उनके अन्यान्य चलाचल सम्पति से कानूनी कारवाई करके वसूल वो बेवाक कर लेवेंगे। उस वक्त लेख्यकारी या उनके किसी भी उत्तराधिकारी को किसी प्रकार का उजूर वो एतराज न है वो न कभी होगा।

अरुण कुमार
29/07/2015



(7)

इस वास्ते यह वशिका निर्विवाद बिक्रय पत्र यानि केवाला बैय
ला कलामी लिख दिया कि समय पर काम आवे वो प्रमाण रहे ।

(समाप्त)

साक्ष्यगण

1. सदानन्द कुमार

पिता - दधानन्द सिंह

ग्राम - रानीपुर, पो. कोइरा

थाना - पल्लिगंज, जिला - पटना
29/07/15

2.

नन्द किशोर भट्टा
पिता सो: विष्णु भट्टा
नासरीगंज दानापुर
पटना
दि: 29-7-2015

लेख्यकारी का हस्ताक्षर

अरुण कुमार
29/07/2015

लेख्यधारिणी का हस्ताक्षर

नन्दना कुमारी
29/7/2015

Online Bank challan checked

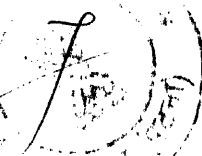
29/7/15

दस्तावेज जांचा
29/7/15
हस्ताक्षर

पता कार्ड के मा.पुरा
दिनांक 29/07/2015
स्थान रानीगंज
थाना रानीगंज
प्राप्तकर्ता
29/7/15

प्राप्तकर्ता
29/7/2015

रानीगंज सी.बी.डी. दानापुर, पटना
मार्ग: 80 48/02



रसोद मालगुजारी
नाम सर्कल । नाम मौजा मय
थाना वो थाना नम्बर

W.P

फरद मालकी / फरद

नाम रैयत मय वल्दियत

00681174

82-28

प्राप्ति	१०/११/२०२०	१६	श्रीमती व. का. शर्मा
----------	------------	----	----------------------

अराजी नगदी

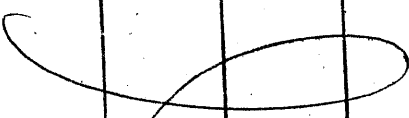
अराजी भावली

59 कक्षा

जौत का सालाना मांग मय तफसील (बकाया वो डाल) मौजूदा

जौत का सालाना मांग मय तफसील (बकाया वा डाल) मासुका		वकाया				हल
2092-93 मांग बाबत		सालाना	तीन वर्ष से ज्यादा ।	3रा वर्ष ।	2रा वर्ष ।	1रा वर्ष ।
माल- } (नकदी)	7					9
गुजारी } (भावली)	0.42					0.42
सेस	0.2					0.2
* सुद	0.2					0.2
मुतफरकात	0.2					0.2
मीजान	2.42					2.42

तफसील अदायकारी ।

तफसाल अदायकारी।							
८९८-९९ अदायकारी बाबत		बकाया				मालवा	फाजिल
		तीन वर्ष से ज्यादा।	उरा वर्ष।	२रा वर्ष।	१ला वर्ष।	हाल	
माल—	} (नकदी) (भावली)					७—	
गुजारी						६४२	
सेस						०.२	
* सुद						०.२	
मुतफरकात						०.२	
मीजान अदायकारी						२.०२	

(1) मीजान कुल (लफजों में)

(2) नाम देहिन्दा — ६

(3) कुल बकाया —

दस्खत वो तारीख अमला तहसील पिन्दा

* जामुन महाल का बकाया मालगुजारी पर (सेवाय ऐसे बकायों पर जिन्हें

... ୧୫

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १५ ॥

आदेश पत्रक

सूची १४ फॉर्म सं० ५६२

(देखें अभिलेख 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक संख्या	ता०	हल्का
अंचल का नाम	जिला	
आदेश की क्र. सं. और ता०	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

26/8/15

श्री महेश चन्द्र कुमार
 बल्द उ-५ कुमर म्हा
 ग्राम महल थाना हड्डर जिला मधुबनी
 केवाला सं० ६२२५ दिनांक २५/०६/९८ के आधार पर
 निम्नांकित जमीन पर दाखिल खारिज हेतु आवेदन-पत्र दाखिल किया है।
 मौजा का नाम तौजी नं० खाता खसरा एराजी
लिक-१४८ १२६ ५२४ ५९५

14/10-628
 5/9/2015

13/15

मुल आवेदन -पत्र हल्का कर्मचारी को अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन हेतु दे दों। महल पर सूचना जारी कर आपूर्ति की मांग करें। अभिलेख दिनांक 13/15 को उपस्थित करें। लिखाया एवं शुद्ध किया।

अंचलाधिकारी 716 अंचलाधिकारी

महल पर वामिला नोटिस प्राप्त है। कोई आपति प्राप्त नहीं है। कर्मचारी का प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक को माध्यम से प्राप्त हैं उन लोगों ने आवेदन के नाम दाखिल करने की अनुशंसा किए हैं फलतः उनके अनुशंसा के आधार पर दाखिल खारिज की ६२२५ दिया जाता है लिखाया एवं शुद्ध किया शुद्धपत्र निर्गत करें।

27/8 अंचलाधिकारी 215 अंचलाधिकारी

अन किशोर सिंह
04/9/2015

GOVT OF BIHAR
 DEPT. OF REVENUE
 COURT FILE
 AUTHORIZATION No. 1503
 00000
 0000100
 4 9 2015
 INDIA - 2015-2016
 375315
 BIHAR
 JUDICIAL
 1463 1219807

दाखिल खारिज - प्रतिवेदन

देश नम्बर ८१६१८

स्थल-२०१८-१६

दल्का नम्बर-६

अंचल-बानापुर

जिला-बिष्णुपुर

राजस्व थाना नम्बर-१६

जिला-भरतपुर

जु० में जमीन रकबा-

प्राप्त का जरिया-खारिज

जरियान-

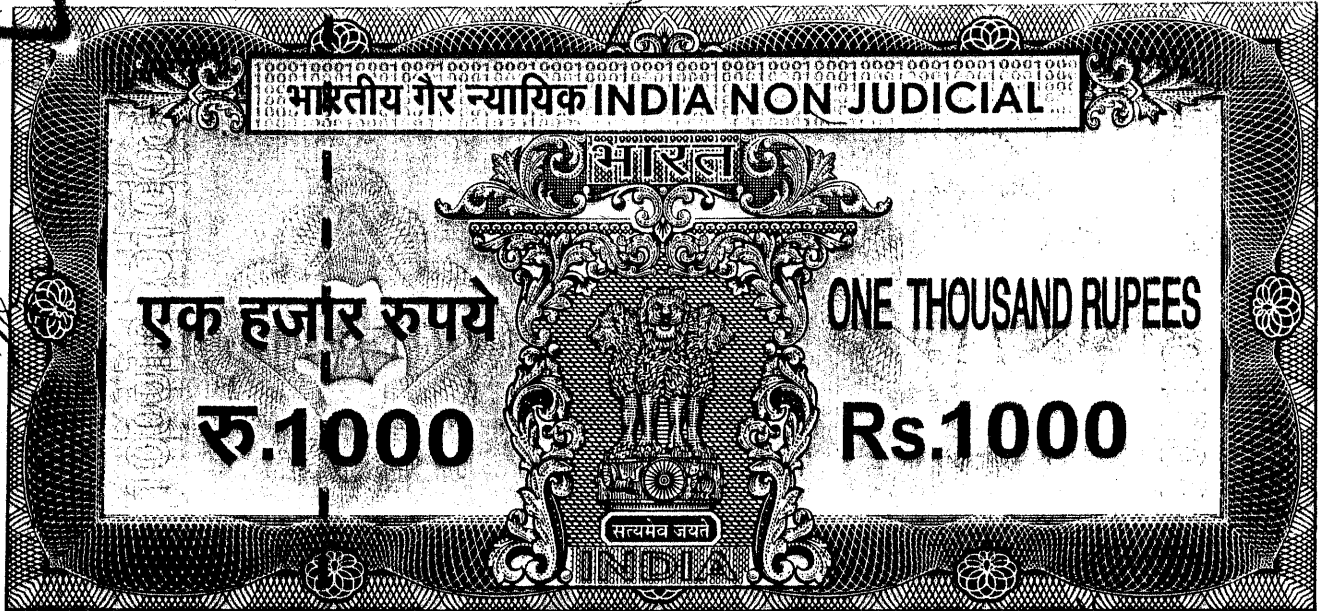
कैदाल-६४-२५

तिथि-२४/०६/१८

जमाबंदी रयत का नाम	खाता	प्लोट	रकबा	लगान	जमाबंदी नम्बर
जमाबंदी कुमाउ पिता - लाल बहादुर शाह माता - नारायणी	४० १४६	१११ ४६१ ४४४	०४६३/१	१-	४०४२ अ. ३१० महाद्वय आवृत्ति जमीन की फसल की सिक्का के नाम से दफ्तरी जमीन में काम, गहलीक उपान, अ. लेखन के उपर इस जमीन सेपली है। एवं आवृत्ति के फसल में अना, जमा, गहलीक पर उपान/पल्लव में उपान की खेती से जमा लब्ध है। २१०४ २१०४ जो जमा गहलीक सूचना उपरान्त राजस्व वसूली के लिए में उपान में जो जमा जमा है। सूचना में जमा २१०४ २१०४
नया हुआ रकबा	४०				
नया जमाबंदी रयत जीमली प. का कुमाउ माता - लाल बहादुर शाह पिता - नारायणी, बिष्णुपुर जिला - मधुबनी	१४६	४४४	१९००	१-	

रान किशोर
०४/०१/२०१८

११



बिहार BIHAR

Serial No. 8143

Govt. of Bihar
Sub Registry Office, Danapur
Summary of Endorsement

This document was presented for registration on 29/07/2015 by Arun Kumar. A Stamp Duty of Rs. 55000/- and other Fees of Rs. 14610/- has been paid in it. The document was found admissible. The Names, Photographs, Fingerprints and Signatures of the Executants and their Identifier, who have admitted execution before me, are affixed on the reverse page. The document has been registered as Deed No. 7983 in Book No. 1, Volume No. 160 on pages from 86 to 97 and has been preserved in total 12 pages in C.D. No. 25 / Year 2015

Date: 29/07/2015

Token No: 8175 / 2015

Signature with Date
(Dhananjay Kumar Rao)
Registering Officer, Danapur

विक्रय-पत्र

(DEED OF ABSOULUTE SALE)

(1) नाम लेख्यकारी:- श्री अरुण कुमार पिता का नाम स्व(

विश्वनाथ प्रसाद, निवास स्थान-नासरीगंज,
थाना-दानापुर, पत्रालय-दीघा, जिला-पटना,



उत्तराण कुमार का नाम स्व(
 कागज रजिस्ट्रार
 कल लपका लपका पाया
 29/07/2015
 मही

Sub District Registry Office, Danapur

Token Number 8175

Reg. Year 2015

Serial Number 8143

Deed Number 7983

PresType	Name	Photo	Thumb	Index	Middle	Ring	Little
----------	------	-------	-------	-------	--------	------	--------

Claimant Hiranath Mishra

Sig. *Hiranath Mishra*
Hiranath Mishra
29/07/2015



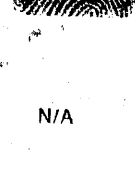
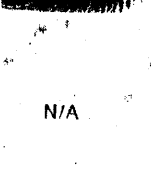
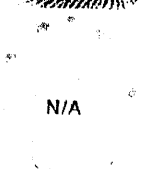
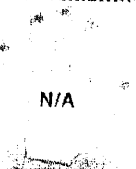
Presented By Arun Kumar

Sig. *अरुण कुमार*
29/07/2015



Executant Arun Kumar

Sig. *अरुण कुमार*
29/07/2015



Identified By Sadanand Kumar

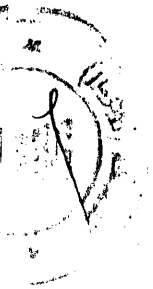
Sig. *सदानंद कुमार*
29/07/15



SCORE Ver.3.0

Powered by InfoSystem and Solutions, Patna

Biometric Captured By 2802sop007



अरुण कुमार
29/07/2015

-: 2 :-

हाल निवास स्थान-20 अविनाश नगर बरखेड़ा पठानी
हुजुर भेल भोपाल हुजुर-462022, मध्य प्रदेश भारतीय
नागरिक जो इसके आगे विक्रेता/ लेख्यकारी के
रूप में वर्णित हैं। (जिनके साथ-साथ उनके
उत्तराधिकारी, वंशज, अधिन्यासी, हितबद्ध तथा प्रथम
पक्ष के हित में प्रशासको को शामिल किया गया है)
जिन्हें इसमें प्रथम पक्ष कहा गया है।

ANAPK79C12G

(2) नाम लेख्यधारी:-

श्री हीरानाथ मिश्रा पिता का नाम श्री शचीनाथ
मिश्रा, निवास स्थान-बटुड़ी, पत्रालय-अन्दह, थाना-पण्डौल,
जिला-मधुबनी, बिहार, भारतीय नागरिक, जो इसके
आगे क्रेता/ लेख्यधारी के रूप में वर्णित हैं। (जिनके
साथ-साथ उनके उत्तराधिकारी, वंशज, अधिन्यासी,
हितबद्ध तथा द्वितीय पक्ष के हित में प्रशासको को
शामिल किया गया है) जिन्हें इसमें द्वितीय पक्ष
कहा गया है। AN-A3QPM79C2B

(3) लेख्य प्रकार :-

निर्विवाद विक्रय पत्र यानि केवाला वयला
कलामी (DEED OF ABSOLUTE SALE)

(4) मूल्यांकन :-

मो0 6,87,500/- (छः लाख सतासी हजार पाँच
सौ) रूपया मात्र।



उत्तराधिकारी
29/07/2015

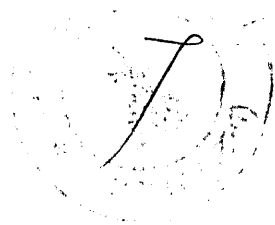
(5) सम्पत्ति का
सम्पूर्ण विवरण:-

मवाजी 10 धुर (दस धुर) एराजी आवासीय कास्त
हकियत रैयती कायमी नगदी वाके मौजा रूसतमपुर
शाहपुर उर्फ सिकन्दरपुर जो मोदी प्लास्टिक से
दक्षिण स्थित है परगना फुलवारी थाना वा सब
रजिस्ट्री दानापुर, सदर रजिस्ट्री वो जिला पटना,
जिसकी तौजी संख्या-5854 (पाँच हजार आठ सौ
चौवन), थाना नं० 17 (सतरह), खाता संख्या 196
(एक सौ छियानवे), सर्वे खेसरा प्लॉट सं०-524
(पांच सौ चौबीस) का अंश भाग जिसकी सलाना
लगान 0.50 पैसा अलावे शेष बजमीन्दारी बिहार
सरकार द्वारा अंचलाधिकारी दानापुर पटना है।

चौहददी

उत्तर : पार्ट प्लॉट नं० 524 अज खरीदार
पशुपति चौधरी ।
दक्षिण : पार्ट प्लॉट नं० 524 अज खरीदार
युशेश्वर झा ।
पूरब : पार्ट प्लॉट नं० 524 शिवनाथ सिंह
पश्चिम : सर्वे प्लॉट नं० 526

आम्र खेसरा
29/07/2015



(4)

संदर्भ

यह कि खाना न0-5 में वर्णित सम्पति एवं अन्य दिगर सम्पति लेख्यकारी के मौरुसी खनदानी सम्पति है वो सर्वे खतियान में श्यामा सिंह का नाम दर्ज पाया गया है श्यामा सिंह अपने दो पुत्र राम एकवाल सिंह वो रामाश्रय सिंह को सम्पूर्ण सम्पति पर वारिश जायज छोड़कर स्वर्गवास कर गये बाद स्वर्गवास अपने पिता के उक्त राम एकवाल सिंह वो रामाश्रय सिंह ने खाने नं0 5 में वर्णित सम्पति एवं अन्य दिगर सम्पति पर काबिज दखिल होकर आपस में खानगी बटवारा द्वारा बट गये बटवारा के अनुसार रामाश्रय सिंह अपने दो पुत्र शिवनाथ सिंह वो विश्वनाथ प्रसाद को वारिश जायज छोड़कर स्वर्गवास कर गये बाद स्वर्गवास अपने पिता के उक्त विश्वनाथ प्रसाद वो शिवनाथ सिंह खाने नं0 5 में वर्णित सम्पति एवं अन्य दिगर सम्पति पर काबिज दखिल होकर विश्वनाथ प्रसाद अपने पुत्र लेख्यकारी अरूण कुमार को अपने हिस्से की सम्पति पर वारिश जायज छोड़कर स्वर्गवास कर गये बाद स्वर्गवास अपने पिता के उक्त लेख्यकारी अरूण कुमार ने अपने चाचा शिवनाथ सिंह के साथ खाने न0 5 में वर्णित सम्पति पर काबिज दखिल होकर आपस में खानगी बटवारा दिनांक 3.06.2014 ई0 को बट गये बटवारा के अनुसार खाने नं0 5 में वर्णित सम्पति एवं अन्य दिगर सम्पति पर वहैसियत सम्पति के मूल स्वामी हकदार वो दखलकार होकर वो रहकर सम्पति के उत्पतित आय को अपने उपयोग वो उपभोग में लाते रहे हैं वो हैं वो लेख्यकारी का नाम वसिरिस्ता बिहार सरकार के जमीन्दारी विभाग के जमाबन्दी रैयत संख्या 5028/1 में दर्ज पाया गया है ।

लेख्यकारी को तत्काल खरीदने अन्य सम्पति एवं अन्य जरूरतों की पूर्ति हेतु रूपयों की अत्यन्त आवश्यकता है और जब तक खाने संख्या 5 में वर्णित सम्पति की बिना लेख्यकारी नहीं करते हैं, तबतक



अरूण कुमार
29/07/2015

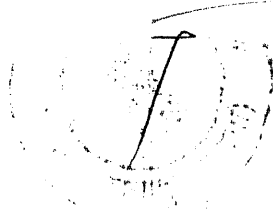
रूपयों का शीघ्र प्रबंध करना लेख्यकारी के वास्ते वर्तमान आय से प्रायः मुश्किल है ।

अतएव लेख्यकारी बहैसियत सम्पत्ति के मूल स्वामी वो हकदार वो दखलकार होकर वो रहकर अपने तन मन की स्वस्थतावस्था में अपना सम्पूर्ण लाभ हानि को भली भांति समझ बुझकर अपने शुभचिन्तकों एवं कानूनी सलाहकारों से परामर्श इत्यादि लेकर बिना किसी बाहरी दबाव वो डराव वो धमकाव के अपने समस्त ज्ञानेन्द्रियों के साथ खान नं०- 5 में वर्णित सम्पत्ति को समयानुसार उचित मूल्य मो० 6,87,500/- (छः लाख सतासी हजार पाँच सौ) रूपया मात्र में बदस्त लेख्यधारी खाना नं०-2 को बेचा वो बैय ला कलामी किया । वो लेख्य निष्पादन का एकरार सहर्ष स्वीकार किया।

यह कि मूल्य के कुल रूपयों को लेख्यकारी इस वशिका पर हस्ताक्षर के समय खरीदार पक्ष से नगद वसूल पाकर एकरार सहर्ष स्वीकार किया । अब लेख्यकारी को एक नया पैसा भी क्रेता पक्ष के यहाँ बाकी न रहा ना कभी होगा।

खाने नं० 5 में वर्णित सम्पत्ति में जितना भी हक वो दखल कब्जा आज तक लेख्यकारी या उनके उत्तराधिकारी को प्राप्त था या भविष्य में प्राप्त होता रहता वह सब कुल हक वो दखल कब्जा आज के दिन से मूल्य के कुल रूपयों के बदले हस्तांतरित होकर खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारी को प्राप्त हुआ वो भविष्य में प्राप्त होता रहेगा । खरीदार खाने नं० 5 में वर्णित सम्पत्ति पर बहैसियत सम्पत्ति के मूल सर्वाधिकारी वा हकदार वो दखलकार होकर वो रहकर जायदाद मजकुर को जिस प्रकार से चाहे अपने उपयोग वो उपभोग में लावे वो नाम अपनी वजाय लेख्यकारी के वसिरिस्ता बिहार सरकार के जमीन्दारी विभाग में इस बिक्रय पत्र के माध्यम से नामांकित करा लवेंगे । उस वक्त लेख्यकारी या उनके उत्तराधिकारी को किसी प्रकार का कोई उजूर वो एतराज न है वो न कभी होगा वो यदि

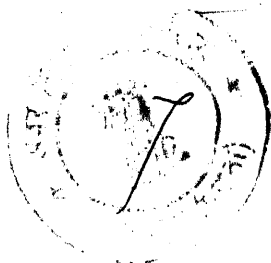
उत्तराधिकारी
29/07/2015



(6)

लेख्यकारी या उनके उत्तराधिकारी किसी गलत बयान से किसी किस्म के दावा या उजूरदारी निस्वत एराजी मजकूर या जरे सम्मन के करें तो उनकी उजूरदारी या दावा बमोकावले वशिका बिक्रय पत्र के रद्द वो गैर कानूनी होगा वो किसी भी अदालत में कानूनी कारवाई करने योग्य नहीं होगा।

लेख्यकारी (विक्रेता) ने लेख्यधारी (क्रेता) को विश्वास दिलाए है कि खाने नं० 5 में वर्णित सम्पति हर प्रकार के अधिकार सम्बन्धी झंझट वो ऋण भार सरकारी वो गैर सरकारी से पुर्णतः मुक्त वो पाक साफ है। वो आज तक लेख्यकारिणी या उनके उत्तराधिकारी ने खाने नं० 5 में वर्णित सम्पति को किसी अन्य के साथ किसी प्रकार का कोई हस्तांतरण नहीं किये हैं वो नहीं लिखें हैं। वो अगर खिलाफ किसी प्रकार का अधिकार संबंधी झंझट वो ऋण भार सरकारी वो गैर सरकारी खाने नं० 5 में वर्णित सम्पति में पाया जाये या लेख्यकारी या उनके उत्तराधिकारी के हस्तक्षेप के फलस्वरूप खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारी सम्पति के अंश या कुल भुभाग से बेदखल कर दिये जाये जिससे किसी किस्म के कोई क्षति खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारी को हो तो वैसी हालत में खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारी अपनी क्षतिपूर्ति वकदर बेदखली या जो जो ऋण भार उनको अदाय करना पड़े उसे लेख्यकारिणी से या उनके उत्तराधिकारी से या उनके अन्यान्य चलाचल सम्पति से कानूनी कारवाई करके वसूल वो बेवाक कर लेवेंगे। उस वक्त लेख्यकारी या उनके किसी भी उत्तराधिकारी को किसी प्रकार का उजूर वो एतराज न है वो न कभी होगा।



अलग वृत्त
29/07/2015

(7)

इस वास्ते यह वशिका निर्विवाद बिक्रय पत्र यानि केवाला बैय
ला कलामी लिख दिया कि समय पर काम आवे वो प्रमाण रहे ।

(समाप्त)

साक्ष्यगण

1. शदानन्द कुमार
पिता - दधानन्द सिंह
ग्राम - शलपुर, पो-कोडरा
धाना - पल्लोत, जिला-पटना
२९/०७/१५

लेख्यकारी का हस्ताक्षर

अनन कुमार
29/07/2015

लेख्यधारी का हस्ताक्षर

2. नन्द किशोर मंडल
पिता सो: विष्णु न मंडल
नायडी मंज दाना पुर
पटना
ती: २९-७-२०१५

Heera Nath Mishra
29/07/2015

Online Bank challan checked

प्रारूपकर्ता

तारकेश्वर त्रिपाठी
29.7.2015

हेरानाथ मंडल दाना पुर
पटना ५८१०२

हस्तावेज जांचा
२९/७/१५
हस्ताक्षर



रसीद मालगुजारी
नाम सर्कल। नाम मौजा मय
थाना वो थाना नम्बर

७.१ वि०स०मु०, पदवा. ५
करद मालकी / करद मालकी ५
नाम रैयत मय वल्दियत जमका ५

00681171

4229

पन्ना १८	दिनांक १८/१८/१९७६	श्री टी. जय शिवा
----------	-------------------	------------------

अराजी नगदी

अराजी भावली

गणेशाय नमः

1000

Soll	Haben
	1900 = 700 - 100 = 600

जोत का सालाना मांग मय तफसील (बकाया वो हाल) मौजूदा साल

जॉत का सालाना मांग नये तयार किये गये हैं		बकाया				माल
सालाना मांग बाबत	सालाना	तीन वर्ष से ज्यादा	उरा वर्ष	2रा वर्ष	1रा वर्ष	
माल- } (नकदी)	9					9
गुजारी } (भावली)	6.5					6.5
सेस	0.5					0.5
*सुद	0.5					0.5
मुतफरकात	0.2					0.2
मीजान	17.2					17.2

તપ્પસીલ અદાયકારી ।

2012-13 अदायकारी बाबत		बकाया				मोतालबा	फाजिल
		तीन वर्ष से ज्यादा ।	3रा वर्ष ।	2रा वर्ष ।	1ला वर्ष ।	हाल	
माल—	} (नकदी) (भावली)					9—	1
गुजारी						0.22	
सेस						0.2	
*सुद						0.2	
मुतफरकात						0.2	
मीजान अदायकारी						2.42	

- (1) मीजान कुल (लफजों में) — ५१ ८० पंजाबी ५८
(2) नाम देहिन्दा — ६
(3) कुल बकाया — ५१ ८० पंजाबी ५८
- दस्खत वो तारीख अमल

दस्खत वो तारीख अमला तहसील जेम्दा

* वास महाल का बरतगा मालगुजारी पर (सेवाय ऐसे बकायों पर जिन पर १००० रु. है।

गठन संख्या २६११/१८-१९

आदेश पत्रक

वी १४ फॉर्म सं० ५६२

(देखें अप्रिलेख 1941 का नियम 129)

देश पत्रक संख्या	ता०	हल्का
अंचल का नाम	जिला	
आदेश की क्र. सं. और ता०	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

१

२

३

श्री डी. लाल मिश्रा

वत्स श्री लाल मिश्रा

ग्राम बहुल थाना पण्डित जिला मधुबनी ने

केवाला सं० ६५-८३ दिनांक २५/०६/९४ के आधार पर

निम्नांकित जमीन पर दाखिल आवेदन-पत्र दाखिल किया है।

मौजा का नाम ताली नं० खाता खसरा एरानी

बि. व. क. १५६ ४४४ ५११५

युक्त आवेदन-पत्र हल्का कार्यालय को अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रेषित हेतु दे दो। खाता पर सूचना जारी कर अपूर्ण को भर्त्ता करें। अप्रिलेख दिनांक ११/११/९४ को उपस्थित करें। निम्नलिखित कार्य सुदृष्ट किया।

अंचल अधिकारी

६/१०
अंचल अधिकारी

मदाल पर दायित्व जमा है। कोई भी कार्य नहीं है। कार्यवाही वगैरह अंचल निरीक्षक के माध्यम से जमा है। उन संकेतों के माध्यम से दायित्व करने की अनुमति दिए हैं। फलतः उनके अनुसार वे खाता पर दाखिल आवेदन को ६/१० दिया जात है निम्नलिखित कार्य सुदृष्ट किया सुदृष्ट निर्गत करें।

अंचल अधिकारी

राज किशोर मिश्रा
०५/११/२०१५

GOVT. OF BIHAR
Registration, Easements, and Mortgages Deptt.
PAINDA SOURCE, PAINDA
COURT FILE
Authorization No. 2913
INDIA
375303
BIHAR
1459 3720813

दाखिल खारिज - प्रतिवेदन

मु० केश नम्बर २८११/१५-१६ स्थल-२०१४-१६

ग्राम- ~~सिक-गल~~

मुं मे जमीन रकबा-

जरशमन-

केबाल-6V-23

हल्की नम्र- 6

राजस्व थाना नम्बर-१६

प्राप्त का जरिया- *खरीद*

तिथि-२२/०६/१८

जिला-पटना

जमाबंदी रैयत का नाम	खाता	प्लोट	रकबा	लगान	जमाबंदी नम्बर
अलगा कुमाल पिता - लाल बहादुर शास्त्री स्वा - नारायणजी	30	119	8.36 2/3	8	4022 7 डा. डा. मल्लिकार्जुन आवेदन जमीन की जमाबंदी मित्रता के नाम से दफ्तरी हो/प्राप्त हो आम, मालिक, जमान, 30 लेख के अन्तर्गत/प्राप्त रैयती के लिये जमाबंदी के बकाया में हो जमाबंदी जमान, 30 पर उपरोक्त जमान की लैबरी की जा कराई हो जमान मसाला जाया
बचा हुआ रकबा					
नया जमाबंदी रैयत श्री हीरा नाल्य मित्रा पिता - श्री नारायण मित्रा स्वा - लाल पाना - पण्डित जिं - मधुबनी	7/4	824	5.11	9	जमान उपरांत राज प्राप्ति के दिने क न ही से बांधवा बकाया दि जा ल हो 21.10.04 4022



बिहार BIHAR

Serial No. 8149

Deed No. 7989

Govt. of Bihar
Sub Registry Office, Danapur
Summary of Endorsement

This document was presented for registration on 29/07/2015 by Arun Kumar
 A Stamp Duty of Rs. 55000/- and other Fees of Rs. 14610/- has been paid in it.

The document was found admissible. The Names, Photographs, Fingerprints and Signatures of the Executants and their Identifier, who have admitted execution before me, are affixed on the reverse page.

The document has been registered as Deed No. 7989 in Book No. 1, Volume No. 160 on pages from 158 to 169 and has been preserved in total 12 pages in C.D. No. 25 / Year 2015

Date: 29/07/2015

Token No: 8172 / 2015

Signature with Date
 (Dhananjay Kumar Rao)
 Registering Officer, Danapur

विक्रय-पत्र

(DEED OF ABSOLUTE SALE)

(1) नाम लेख्यकारी:- श्री अरूण कुमार पिता का नाम स्व०

विश्वनाथ प्रसाद, निवास स्थान-नासरीगंज,

थाना-दानापुर, पत्रालय-दीघा, जिला-पटना,



अरुण कुमार वसु
 कागान परकर साहू
 कुल लयक वसुल पापा
 29/07/2015

PreType

Name
Vandana Jha

Sig.

29/07/2015

Presented

Arun Kumar

By

29/07/2015

Sig.

Executant Arun Kumar

Sig.

29/07/2015

Identified By Sadanand Kumar

Sig.

29/07/2015

29/07/15

Photo



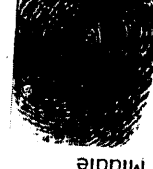
Thumb



Index



Middle



Ring



Little



N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A



29/07/2015

29/07/2015



-: 2 :-

हाल निवास स्थान-20 अविनाश नगर बरखेड़ा पठानी
हुजुर भेल भोपाल हुजुर-462022, मध्य प्रदेश भारतीय
नागरिक जो इसके आगे विक्रेता/ लेख्यकारी के
रूप में वर्णित हैं। (जिनके साथ-साथ उनके
उत्तराधिकारी, वंशज, अधिन्यासी, हितबद्ध तथा प्रथम
पक्ष के हित में प्रशासको को शामिल किया गया है)
जिन्हें इसमें प्रथम पक्ष कहा गया है।

AH7PK7992G

(2) नाम लेख्यधारिणी:-

श्रीमती वन्दना झा पति का नाम श्री दमन
कुमार झा, निवास स्थान वो पत्रालय-राँटी, जिला-
मधुबनी, बिहार, भारतीय नागरिक भारतीय नागरिक
जो इसके आगे क्रेता/ लेख्यधारिणी के रूप में
वर्णित हैं। (जिनके साथ-साथ उनके
उत्तराधिकारी, वंशज, अधिन्यासी, हितबद्ध तथा द्वितीय
पक्ष के हित में प्रशासको को शामिल किया गया है)
जिन्हें इसमें द्वितीय पक्ष कहा गया है।

PAN-ABOPV3499B

(3) लेख्य प्रकार :-

निर्विवाद विक्रय पत्र यानि केवाला वयला
कलामी (DEED OF ABSOLUTE SALE)

(4) मूल्यांकन :-

मो0 6,87,500/- (छः लाख सतासी हजार पाँच
सौ) रूपया मात्र।



आनन कुमार
29/07/2015

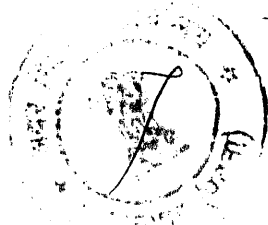
**(5) सम्पत्ति का
सम्पूर्ण विवरण:-**

मवाजी 10 धुर (दस धुर) एराजी आवासीय कास्त
हकियत रैयती कायमी नगदी वाके मौजा रूसतमपुर
शाहपुर उर्फ सिकन्दरपुर जो मोदी प्लास्टिक से
दक्षिण स्थित है परगना फुलवारी थाना वा सब
रजिस्ट्री दानापुर, सदर रजिस्ट्री वो जिला पटना,
जिसकी तौजी संख्या-5854 (पाँच हजार आठ सौ
चौवन), थाना नं0-17 (सतरह), खाता संख्या-196
(एक सौ छियानवे), सर्वे खेसरा प्लॉट सं0-524
(पांच सौ चौबीस) का अंश भाग जिसकी सलाना
लगान 0.50 पैसा अलावे शेष बजमीन्दारी बिहार
सरकार द्वारा अंचलाधिकारी दानापुर पटना है।

चौहद्दी

उत्तर : पार्ट प्लॉट नं0 524 अज खरीदार
: युगेश्वर झा।
दक्षिण: पार्ट प्लॉट नं0 524 अज खरीदार
जितेन्द्र कुमार।
पूरब : पार्ट प्लॉट नं0 524 शिवनाथ सिंह
पश्चिम: सर्वे प्लॉट नं0 526

अलग कुमार
29/07/2015



(4)

संदर्भ

यह कि खाना नं0-5 में वर्णित सम्पति एवं अन्य दिगर सम्पति लेख्यकारी के मौरूसी खनदानी सम्पति है वो सर्वे खतियान में श्यामा सिंह का नाम दर्ज पया गया है श्यामा सिंह अपने दो पुत्र राम एकवाल सिंह वो रामाश्रय सिंह को सम्पूर्ण सम्पति पर वारिश जायज छोड़कर स्वर्गवास कर गये बाद स्वर्गवास अपने पिता के उक्त राम एकवाल सिंह वो रामाश्रय सिंह ने खाने नं0 5 में वर्णित सम्पति एवं अन्य दिगर सम्पति पर काबिज दखिल होकर आपस में खानगी बटवारा द्वारा बट गये बटवारा के अनुसार रामाश्रय सिंह अपने दो पुत्र शिवनाथ सिंह वो विश्वनाथ प्रसाद को वारिश जायज छोड़कर स्वर्गवास कर गये बाद स्वर्गवास अपने पिता के उक्त विश्वनाथ प्रसाद वो शिवनाथ सिंह खाने नं0 5 में वर्णित सम्पति एवं अन्य दिगर सम्पति पर काबिज दखिल होकर विश्वनाथ सिंह अपने पुत्र लेख्यकारी अरूण कुमार को अपने हिस्से की सम्पति पर वारिश जायज छोड़कर स्वर्गवास कर गये बाद स्वर्गवास अपने पिता के उक्त लेख्यकारी अरूण कुमार ने अपने चाचा शिवनाथ सिंह के साथ खाने नं0 5 में वर्णित सम्पति पर काबिज दखिल होकर आपस में खानगी बटवारा दिनांक 3.06.2014 ई0 को बट गये बटवारा के अनुसार खाने नं0 5 में वर्णित सम्पति एवं अन्य दिगर सम्पति पर वहैसियत सम्पति के मूल स्वामी हकदार वो दखलकार होकर वो रहकर सम्पति के उत्पत्ति आय को अपने उपयोग वो उपभोग में लाते रहे हैं वो हैं वो लेख्यकारी का नाम वसिरिस्ता बिहार सरकार के जमीन्दारी विभाग के जमाबन्दी रैयत संख्या 5028/1 में दर्ज पाया गया है ।

लेख्यकारी को तत्काल खरीदने अन्य सम्पति एवं अन्य जरूरतों की पूर्ति हेतु रुपयों की अत्यन्त आवश्यकता है और जब तक खाने संख्या 5 में वर्णित सम्पति की बिक्री लेख्यकारी नहीं करते हैं, तबतक

अरूण कुमार
29/07/2015

(5)

रूप्यों का शीघ्र प्रबंध करना लेख्यकारी के वास्ते वर्तमान आय से प्रायः मुश्किल है ।

अतएव लेख्यकारी बहैसियत सम्पत्ति के मूल स्वामी वो हकदार वो दखलकार होकर वो रहकर अपने तन मन की स्वस्थतावस्था में अपना सम्पूर्ण लाभ हानि को भली भांति समझ बुझकर अपने शुभचिन्तकों एवं कानूनी सलाहकारों से परामर्श इत्यादि लेकर बिना किसी बाहरी दबाव वो डराव वो धमकाव के अपने समस्त ज्ञानेन्द्रियों के साथ खान नं०- 5 में वर्णित सम्पत्ति को समयानुसार उचित मूल्य मो० 6,87,500/- (छः लाख सतासी हजार पाँच सौ) रूपया मात्र में बदस्त लेख्यधारिणी खाना नं०-2 को बेचा वो बैय ला कलामी किया । वो लेख्य निष्पादन का एकरार सहर्ष स्वीकार किया।

यह कि मूल्य के कुल रूप्यों को लेख्यकारी इस वशिका पर हस्ताक्षर के समय खरीदार पक्ष से नगद वसूल पाकर एकरार सहर्ष स्वीकार किया । अब लेख्यकारी को एक नया पैसा भी क्रेता पक्ष के यहाँ बाकी न रहा न कभी होगा।

खाने नं० 5 में वर्णित सम्पत्ति में जितना भी हक वो दखल कब्जा आज तक लेख्यकारी या उनके उत्तराधिकारी को प्राप्त था या भविष्य में प्राप्त होता रहता वह सब कुल हक वो दखल कब्जा आज के दिन से मूल्य के कुल रूप्यों के बदले हस्तांतरित होकर खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारी को प्राप्त हुआ वो भविष्य में प्राप्त होता रहेगा । खरीदार खाने नं० 5 में वर्णित सम्पत्ति पर बहैसियत सम्पत्ति के मूल सर्वाधिकारी वा हकदार वो दखलकार होकर वो रहकर जायदाद मजकुर को जिस प्रकार से चाहे अपने उपयोग वो उपभोग में लावे वो नाम अपनी वजाय लेख्यकारी के वसिरिस्ता बिहार सरकार के जमीन्दारी विभाग में इस बिक्रय पत्र के माध्यम से नामांकित करा लवेंगे । उस वक्त लेख्यकारी या उनके उत्तराधिकारी को किसी प्रकार का कोई उजूर वो एतराज न है वो न कभी होगा वो यदि

अरुण कुमार
29/07/2015



(6)

लेख्यकारी या उनके उत्तराधिकारी किसी गलत बयान से किसी किस्म के दावा या उजूरदारी निस्वत एराजी मजकूर या जरे सम्मन के करें तो उनकी उजूरदारी या दावा बमोकावले वशिका बिक्रय पत्र के रद्द वो गैर कानूनी होगा वो किसी भी अदालत में कानूनी कारवाई करने योग्य नहीं होगा।

लेख्यकारी (विक्रेता) ने लेख्यधारिणी (क्रेता) को विश्वास दिलाए है कि खाने नं० 5 में वर्णित सम्पति हर प्रकार के अधिकार सम्बन्धी इंडेंट वो ऋण भार सरकारी वो गैर सरकारी से पुर्णतः मुक्त वो पाक साफ है। वो आज तक लेख्यकारिणी या उनके उत्तराधिकारी ने खाने नं० 5 में वर्णित सम्पति को किसी अन्य के साथ किसी प्रकार का कोई हस्तांतरण नहीं किये हैं वो नहीं लिखें हैं। वो अगर खिलाफ किसी प्रकार का अधिकार संबंधी इंडेंट वो ऋण भार सरकारी वो गैर सरकारी खाने नं० 5 में वर्णित सम्पति में पाया जाये या लेख्यकारी या उनके उत्तराधिकारी के हस्तक्षेप के फलस्वरूप खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारी सम्पति के अंश या कुल भुभाग से बेदखल कर दिये जाये जिससे किसी किस्म के कोई क्षति खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारी को हो तो वैसी हालत में खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारी अपनी क्षतिपूर्ति वकदर बेदखली या जो जो ऋण भार उनको अदाय करना पड़े उसे लेख्यकारिणी से या उनके उत्तराधिकारी से या उनके अन्यान्य चलाचल सम्पति से कानूनी कारवाई करके वसूल वो बेवाक कर लेवेंगे। उस वक्त लेख्यकारी या उनके किसी भी उत्तराधिकारी को किसी प्रकार का उजूर वो एतराज न है वो न कभी होगा।

उत्तराधिकारी
29/07/2015



4/8/15

Sch. XIV.—F.No. 180 V.

रसीद मालगुजारी

नाम सर्कल। नाम मौजा मय

थाना वो थाना नम्बर

V

वि० सं० १०, पटना
फरद मालकी / फरद मालकी
नाम रैयत मय वलियत जमा

00681176

४२२६

पत्ता	वि० सं० १०	मालगुजारी	फरद मालकी
-------	------------	-----------	-----------

अराजी नगदी

अग्रजो भावली

जमा रकम

१०॥	पत्ता न वमन कुमार का १०॥ रौंदी मालगुजारी
-----	--

जोत का सालाना मांग मय तफसील (बकाया वो हाल) मौजूदा साल १९९६

मांग बाबत	सालाना	बकाया				हाल
		तीन वर्ष से ज्यादा	३रा वर्ष	२रा वर्ष	१ला वर्ष	
माल-गुजारी	(नकदी)	१०५८				१०५८
सेस	(भावली)	०५				०५
*सुद		०५				०५
मुतफरकात		०५				०५
मीजान		२०५८				२०५८

तफसील अदायकारी

अदायकारी बाबत	सालाना	बकाया				मोतालबा हाल	फाजिल
		तीन वर्ष से ज्यादा	३रा वर्ष	२रा वर्ष	१ला वर्ष		
माल-गुजारी	(नकदी)					१०५८	
सेस	(भावली)					०५	
*सुद						०५	
मुतफरकात						०५	
मीजान अदायकारी						२०५८	

- (१) मीजान कुल (लफजों में) — १०५८ पेंतालीस पेंस
(२) नाम देहिन्दा — १०५८
(३) कुल बकाया — १०५८

दस्खत वो तारीख अमला तहसील देहिन्दा

* जमा महाल का बकाया मालगुजारी पर (सेवाय ऐसे बकायों पर जिन पर जमा है)

१०५८ पेंतालीस पेंस ६२६/९८-२६

११/११/९८

आदेश पत्रक

अनुसूची १४ फॉर्म सं० ५६२

(देखें अभिलेख 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक संख्या

तारीख

हल्का

अंचल का नाम

2627/15-16

जिला

आदेश की
क्र. सं. और
तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कार्यवाई के बारे में
टिप्पणी तारीख सहित

१

२

३

21/8/15

श्री माली पटना जिला

वस्त्र धोषा पटना जिला

ग्राम रौंटी थाना मधुबनी जिला मधुबनी

केवाला सं० 64-27 दिनांक 21/8/15 के आधार पर

निम्नांकित जमीन पर दाखिल खारिज हेतु आवेदन-पत्र दाखिल किया है।

नौजा का नाम	तैजी नं०	खता	खसरा	रसमी
लिप्पटापट		946	848	511

21/8/15
9/9/15

11/9/15

मूल आवेदन-पत्र हल्का कर्मचारी को अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन हेतु दे दों। महाल पर सूचना जारी कर आपूर्ति की मांग करें। अभिलेख दिनांक 11/9/15 को उपस्थित करें। लिखाया एवं शुद्ध किया।

अंचलाधिकारी

अंचलाधिकारी

महाल पर वामिला नोटिस प्राप्त है। कोई आपति प्राप्त नहीं है। कर्मचारी का प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है। उन लोगों ने आवेदन के नाम दाखिल करने की अनुशंसा किए हैं। फलतः उनके अनुशंसा के आधार पर दाखिल खारिज की दिया जाता है लिखाया एवं शुद्ध किया शुद्धिपत्र निर्गत करें।

अंचलाधिकारी

अंचलाधिकारी

दाखिल खारिज - प्रतिवेदन

मु० केश नम्बर 2627

स्थल-०१८-१६

हल्का नंबर— 6

अंचल- दानापुर

~~7315-9/2L~~

राजस्व स्थाना नम्बर- १६

जिला-पटना

मु० में जमीन रकबा—

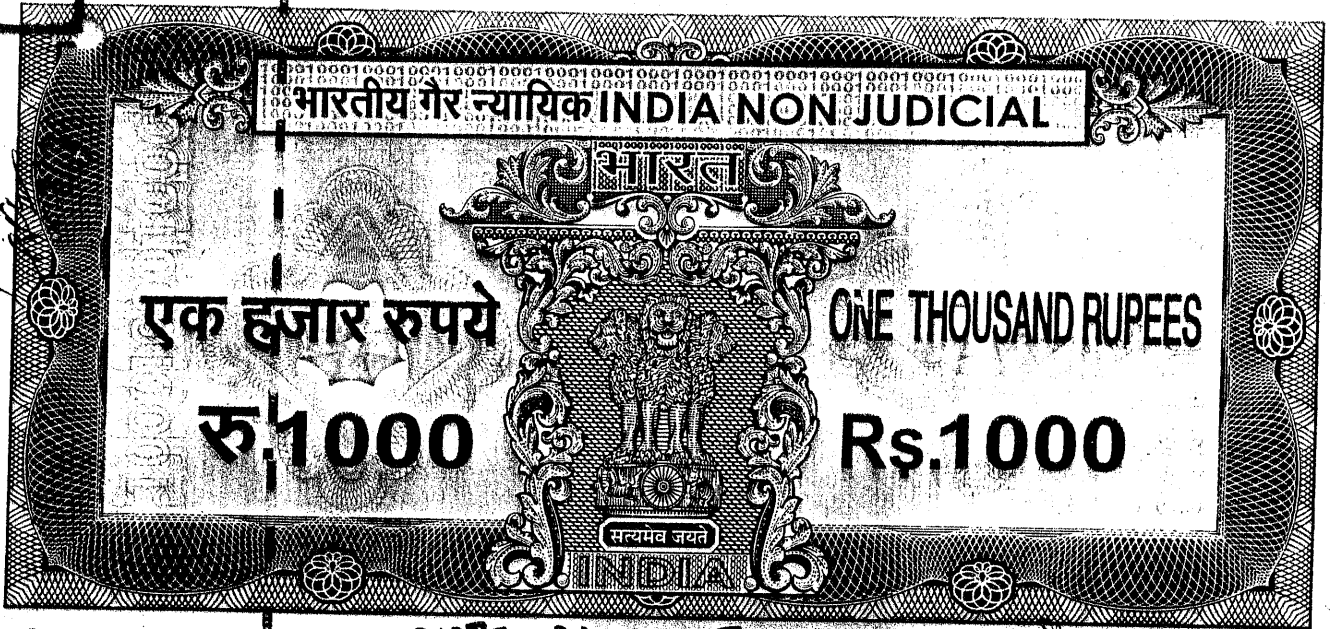
प्राप्त का जरिया- 20/1/92

जरसमन-

केबाल-6V-2V

तिथि-२५/०६/७६

जमाबंदी रयत का नाम	खाता	प्लॉट	रकबा	लगान	जमाबंदी नम्बर
अबुल कुमा मल - खंड विनायक प्रसाद का - बालकृष्ण	४० ११६	१११ ४६१ ५२४	०.५१६६४	—	५५२८ १ अं. आ. प्र. १५५ आवेदित जमीन की जमाबंदी विक्रय के बाद ख. प. की जमीन में आम, मल्लीशु उषान उ. खेत व सुख व जमीन टैपली है एवं आवेदिका के फलदा में है अतः आम, मल्ली पर उकापान्त का उका की लकीकृति की जा सकती
नया हुआ रकबा		१०५ ४२।५			
नया जमाबंदी रयत मिली व. द. का मे - श्री वमन कुमार का — दोली, मच्छवरी —	खाता ११६	प्लॉट ५२४	रकबा ५.११५६	लगान १	५५५५ १६१२५ सूचना उपरांत राजस्व वसूली में दि. १६ मार्च १९५५ को दा. २५०५ दि. १६ दि. १० १९५५



बिहार BIHAR

Serial No. 8150

3184 27.7.2015 1000 655092

Deed No. 7990

Govt. of Bihar

Sub Registry Office, Danapur

Summary of Endorsement

This document was presented for registration on 29/07/2015 by Arun Kumar
A Stamp Duty of Rs. 55000/- and other Fees of Rs. 14610/- has been paid in it.

The document was found admissible. The Names, Photographs, Fingerprints and Signatures of the
Executants and their Identifier, who have admitted execution before me, are affixed on the
reverse page.

The document has been registered as Deed No. 7990 in Book No. 1, Volume No. 160 on pages from
170 to 181 and has been preserved in total 12 pages in C.D. No. 25 / Year 2015

Date: 29/07/2015

Token No: 8185 / 2015

Signature with Date
(Dhananjay Kumar Rana)
Registering Officer, Danapur

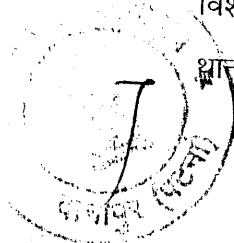
विक्रय-पत्र

(DEED OF ABSOLUTE SALE)

(1) नाम लेख्यकारी:- श्री अरुण कुमार पिता का नाम स्व(0)

विश्वनाथ प्रसाद, निवास स्थान-नासरीगंज,

धाता-दानापुर, पत्रालय-दीघा, जिला-पटना,



अरुण कुमार व च विरुद्ध सती
कातर परकर समिति
कुल लपरा वसुन् माया
29/07/2015

Sub District Registry Office, Danapur

Token Number 8185

Reg. Year 2015

Serial Number 8150

Deed Number 7990

PresType
Claimant Name

Sig. निर्मला देवी
29.7.15

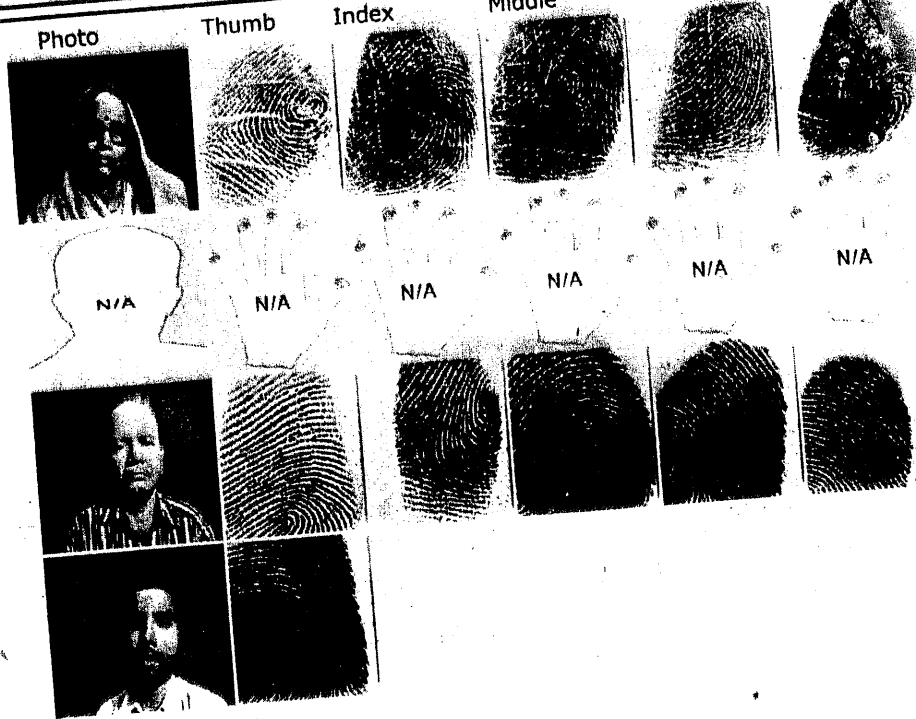
Executant Arun Kumar

Sig. अरुण कुमार
29/07/2015

Presented By अरुण कुमार
29/07/2015

Identified By Sadanand Kumar

Sig. सदानन्द कुमार
29/07/15



SCORE Ver.3.0

Powered by InfoSystem and Solutions, Patna

Biometric Captured By 2802sop007



अरुण कुमार
29/07/2015

हाल निवास स्थान-20 अविनाश नगर बरखेड़ा पठानी
हुजुर भेल भोपाल हुजुर-462022, मध्य प्रदेश भारतीय
नागरिक जो इसके आगे विक्रेता/ लेख्यकारी के
रूप में वर्णित हैं। (जिनके साथ-साथ उनके
उत्तराधिकारी, वंशज, अधिन्यासी, हितबद्ध तथा प्रथम
पक्ष के हित में प्रशासको को शामिल किया गया है)
जिन्हें इसमें प्रथम पक्ष कहा गया है।

AHAPK 7992G

(2) नाम लेख्यधारिणी:-

श्रीमती निर्मला देवी पति का नाम श्री
राधेश्याम झा, निवास स्थान वो पत्रालय-रामखेतारी,
थाना- भैरवस्थान, जिला-मधुबनी, बिहार, भारतीय
नागरिक भारतीय नागरिक जो इसके आगे क्रेता/
लेख्यधारिणी के रूप में वर्णित हैं। (जिनके
साथ-साथ उनके उत्तराधिकारी, वंशज, अधिन्यासी,
हितबद्ध तथा द्वितीय पक्ष के हित में प्रशासको को
शामिल किया गया है) जिन्हें इसमें द्वितीय पक्ष
कहा गया है।

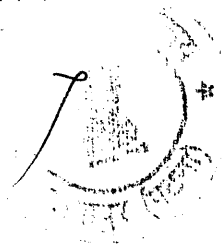
(3) लेख्य प्रकार :-

निर्विवाद विक्रय पत्र यानि केवाला वयला
कलामी (DEED OF ABSOLUTE SALE)

(4) मूल्यांकन :-

मो0 6,87,500/- (छः लाख सतासी हजार पाँच
सौ) रूपया मात्र।

उत्तराधिकारी
29/07/2015



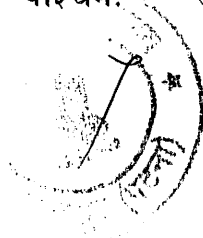
(5) सम्पत्ति का
सम्पूर्ण विवरण:-

मवाजी 10 धुर (दस धुर) एराजी आवासीय कास्त
हकियत रैयती कायमी नगदी वाके मौजा रूसतमपुर
शाहपुर उर्फ सिकन्दरपुर जो मोदी प्लास्टिक से
दक्षिण स्थित है परगना फुलवारी थाना वा सब
रजिस्ट्री दानापुर, सदर रजिस्ट्री वो जिला पटना,
जिसकी तौजी संख्या-5854 (पाँच हजार आठ सौ
चौवन), थाना नं0-17 (सतरह), खाता संख्या-196
(एक सौ छियानवे), सर्वे खेसरा प्लॉट सं0-524
(पांच सौ चौबीस) का अंश भाग जिसकी सलाना
लगान 0.50 पैसा अलावे शेष जमीन्दारी बिहार
सरकार द्वारा अंचलाधिकारी दानापुर पटना है।

चौहददी

उत्तर : पार्ट प्लॉट नं0 524 अज खरीदार
दीपक कुमार एवं कुन्दन कुमार झा।
दक्षिण : पार्ट प्लॉट नं0 524 अज खरीदार
पशुपति चौधरी ।
पूरब : पार्ट प्लॉट नं0 524 शिवनाथ सिंह
पश्चिम : सर्वे प्लॉट नं0 526

अरुण कुमार
29/07/2015



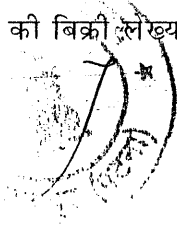
(4)

संदर्भ

यह कि खाना न0-5 में वर्णित सम्पति एवं अन्य दिगर सम्पति लेख्यकारी के मौरूसी खनदानी सम्पति है वो सर्वे खतियान में श्यामा सिंह का नाम दर्ज पया गया है श्यामा सिंह अपने दो पुत्र राम एकवाल सिंह वो रामाश्रय सिंह को सम्पूर्ण सम्पति पर वारिश जायज छोड़कर स्वर्गवास कर गये बाद स्वर्गवास अपने पिता के उक्त राम एकवाल सिंह वो रामाश्रय सिंह ने खाने नं0 5 में वर्णित सम्पति एवं अन्य दिगर सम्पति पर काबिज दखिल होकर आपस में खानगी बटवारा द्वारा बट गये बटवारा के अनुसार रामाश्रय सिंह अपने दो पुत्र शिवनाथ सिंह वो विश्वनाथ प्रसाद को वारिश जायज छोड़कर स्वर्गवास कर गये बाद स्वर्गवास अपने पिता के उक्त विश्वनाथ प्रसाद वो शिवनाथ सिंह खाने नं0 5 में वर्णित सम्पति एवं अन्य दिगर सम्पति पर काबिज दखिल होकर विश्वनाथ प्रसाद अपने पुत्र लेख्यकारी अरूण कुमार को अपने हिस्से की सम्पति पर वारिश जायज छोड़कर स्वर्गवास कर गये बाद स्वर्गवास अपने पिता के उक्त लेख्यकारी अरूण कुमार ने अपने चाचा शिवनाथ सिंह के साथ खाने नं0 5 में वर्णित सम्पति पर काबिज दखिल होकर आपस में खानगी बटवारा दिनांक 3.06.2014 ई0 को बट गये बटवारा के अनुसार खाने नं0 5 में वर्णित सम्पति एवं अन्य दिगर सम्पति पर वहैसियत सम्पति के मूल स्वामी हकदार वो दखलकार होकर वो रहकर सम्पति के उत्पतित आय को अपने उपयोग वो उपभोग में लाते रहे हैं वो हैं वो लेख्यकारी का नाम वसिरिस्ता बिहार सरकार के जमीन्दारी विभाग के जमाबन्दी रैयत संख्या 5028/1 में दर्ज पाया गया है ।

लेख्यकारी को तत्काल खरीदने अन्य सम्पति एवं अन्य जरूरतों की पूर्ति हेतु रूपयों की अत्यन्त आवश्यकता है और जब तक खाने संख्या 5 में वर्णित सम्पति की बिक्री लेख्यकारी नहीं करते हैं, तबतक

अरूण कुमार
29/07/2015

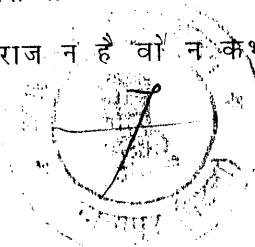


रूपयों का शीघ्र प्रबंध करना लेख्यकारी के वास्ते वर्तमान आय से प्रायः मुशिकल है ।

अतएव लेख्यकारी बहैसियत सम्पत्ति के मूल स्वामी वो हकदार वो दखलकार होकर वो रहकर अपने तन मन की स्वस्थतावस्था में अपना सम्पूर्ण लाभ हानि को भली भांति समझ बुझकर अपने शुभचिन्तकों एवं कानूनी सलाहकारों से परामर्श इत्यादि लेकर बिना किसी बाहरी दबाव वो डराव वो धमकाव के अपने समस्त ज्ञानेन्द्रियों के साथ खान नं०- 5 में वर्णित सम्पत्ति को समयानुसार उचित मूल्य मो० 6,87,500/- (छः लाख सतासी हजार पाँच सौ) रूपया मात्र में बदस्त लेख्यधारिणी खाना नं०-2 को बेचा वो बैय ला कलामी किया । वो लेख्य निष्पादन का एकरार सहर्ष स्वीकार किया।

यह कि मूल्य के कुल रूपयों को लेख्यकारी इस वशिका पर हस्ताक्षर के समय खरीदार पक्ष से नगद वसूल पाकर एकरार सहर्ष स्वीकार किया । अब लेख्यकारी को एक नया पैसा भी क्रेता पक्ष के यहाँ बाकी न रहा ना कभी होगा।

खाने नं० 5 में वर्णित सम्पत्ति में जितना भी हक वो दखल कब्जा आज तक लेख्यकारी या उनके उत्तराधिकारी को प्राप्त था या भविष्य में प्राप्त होता रहता वह सब कुल हक वो दखल कब्जा आज के दिन से मूल्य के कुल रूपयों के बदले हस्तांतरित होकर खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारी को प्राप्त हुआ वो भविष्य में प्राप्त होता रहेगा । खरीदार खाने नं० 5 में वर्णित सम्पत्ति पर बहैसियत सम्पत्ति के मूल सर्वाधिकारी वा हकदार वो दखलकार होकर वो रहकर जायदाद मजकुर को जिस प्रकार से चाहे अपने उपयोग वो उपभोग में लावे वो नाम अपनी वजाय लेख्यकारी के वसिरिस्ता बिहार सरकार के जमीन्दारी विभाग में इस बिक्रय पत्र के माध्यम से नामांकित करा लवेंगे । उस वक्त लेख्यकारी या उनके उत्तराधिकारी को किसी प्रकार का कोई उजूर वो एतराज न है वो न कभी होगा वो यदि



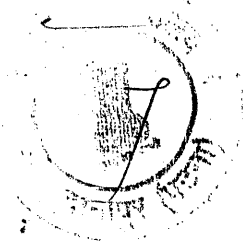
उत्तराधिकारी
29/07/2015

(6)

लेख्यकारी या उनके उत्तराधिकारी किसी गलत बयान से किसी किस्म के दावा या उजूरदारी निस्वत एराजी मजकूर या जरे सम्मन के करें तो उनकी उजूरदारी या दावा बमोकावले वशिका बिक्रय पत्र के रद्द वो गैर कानूनी होगा वो किसी भी अदालत में कानूनी कारवाई करने योग्य नहीं होगा।

लेख्यकारी (विक्रेता) ने लेख्यधारिणी (क्रेता) को विश्वास दिलाए है कि खाने नं० 5 में वर्णित सम्पति हर प्रकार के अधिकार सम्बन्धी इंझट वो ऋण भार सरकारी वो गैर सरकारी से पुर्णतः मुक्त वो पाक साफ है । वो आज तक लेख्यकारिणी या उनके उत्तराधिकारी ने खाने नं० 5 में वर्णित सम्पति को किसी अन्य के साथ किसी प्रकार का कोई हस्तांतरण नहीं किये हैं वो नहीं लिखे हैं । वो अगर खिलाफ किसी प्रकार का अधिकार संबंधी इंझट वो ऋण भार सरकारी वो गैर सरकारी खाने नं० 5 में वर्णित सम्पति में पाया जाये या लेख्यकारी या उनके उत्तराधिकारी के हस्तक्षेप के फलस्वरूप खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारी सम्पति के अंश या कुल भुभाग से बेदखल कर दिये जाये जिससे किसी किस्म के कोई क्षति खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारी को हो तो वैसी हालत में खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारी अपनी क्षतिपूर्ति वकदर बेदखली या जो जो ऋण भार उनको अदाय करना पड़े उसे लेख्यकारिणी से या उनके उत्तराधिकारी से या उनके अन्यान्य चलाचल सम्पति से कानूनी कारवाई करके वसूल वो बेवाक कर लेवेंगे । उस वक्त लेख्यकारी या उनके किसी भी उत्तराधिकारी को किसी प्रकार का उजूर वो एतराज न है वो न कभी होगा ।

उत्तराधिकारी
29/07/2015



(7)

इस वास्ते यह वशिका निर्विवाद बिक्रय पत्र यानि केवाला बैय
ला कलामी लिख दिया कि समय पर काम आवे वो प्रमाण रहे ।

(समाप्त)

साक्ष्यगण

1. शदानन्द कुमार
पिता - दयानन्द सिंह
ग्राम - रानीपुर, पो-कोइरा
थाना - पालीगंज, जिला - पटना
29/7/15
- 2.

लेख्यकारी का हस्ताक्षर

आनण कुमार
29/07/2015

लेख्यधारिणी का हस्ताक्षर

निर्मलादेवी

Online Bank challan checked

Signature

प्रारूपकर्ता

गार शदानन्द
29.7.2015

दस्तावेज नैतिक दानपत्र मे प्राप्त
मफ नं 48102

दस्तावेज जांचा
नं 29/7/15
हस्ताक्षर

रसीद मालगुजारी
नाम सर्कल। नाम मौजा मय
थाना वो थाना नम्बर

७.९ १०२०००, पटना
करद मालकी/करद विधायी।
नाम रैयत मय वल्लिदयत

00681178

971122	104-9122 96	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र
--------	----------------	------------	------------

अराजी भावली

पत्र - राजस्थान का हर दिन केन्द्र

जोत का सालाना मांग मय तफसील (बकाया वॉ हाल) मौजूदा साल

मांग बाबत		सालाना	बकाया				हाल
			तीन वर्ष से ज्यादा ।	उरा वर्ष ।	2रा वर्ष ।	1रा वर्ष ।	
माल- } (नकदी)	१—						१—
गुजारी } (भावली)	०.५५						०.५५
सेस	०.५						०.५
* सुद	०.५						०.५
मुतफरकात	०.५						०.५
मीजान	२.५५						२.५५

તપ્પસીલ અદાયકારી ।

2095-96 अदायकारी बाबत		बकाया				मातालबा हाल	फाजिल
		तीन वर्ष से ज्यादा ।	3रा वर्ष ।	2रा वर्ष ।	1ला वर्ष ।		
माल—	(नकदी)					9	
गुजारी }	(भावली)					0.42	
सेस						0.2	
*सुद						0.2	
मुतफरकात						0.2	
मीजान अदायकारी						1.42	

- (1) मीजान कुल (लफजों में) — ११- पंजाबी पंजाबी
(2) नाम देहिन्दा — १
(3) कुल बकाया — १ दस्खत वो तारी

दस्खत वो तारीख अमला तहसील

महाराज महाल का बकाया मालगुजारी पर (सेवाय ऐसे बकायों पर जिन पर ४।

दावा नं० ४५६ ग/५५२६० ९/१५-१६

दाखिल खारिज - प्रतिवेदन

मु० केश नम्बर 2606

ग्राम- ~~खिन्ना-दहल~~

मु० मे जमीन रकबा—

जरशमन-

स्थल-०१६-१६

हल्का नम्बर- 6

राजस्व थाना नम्बर-१६

प्राप्त का जरिया-~~खाता~~

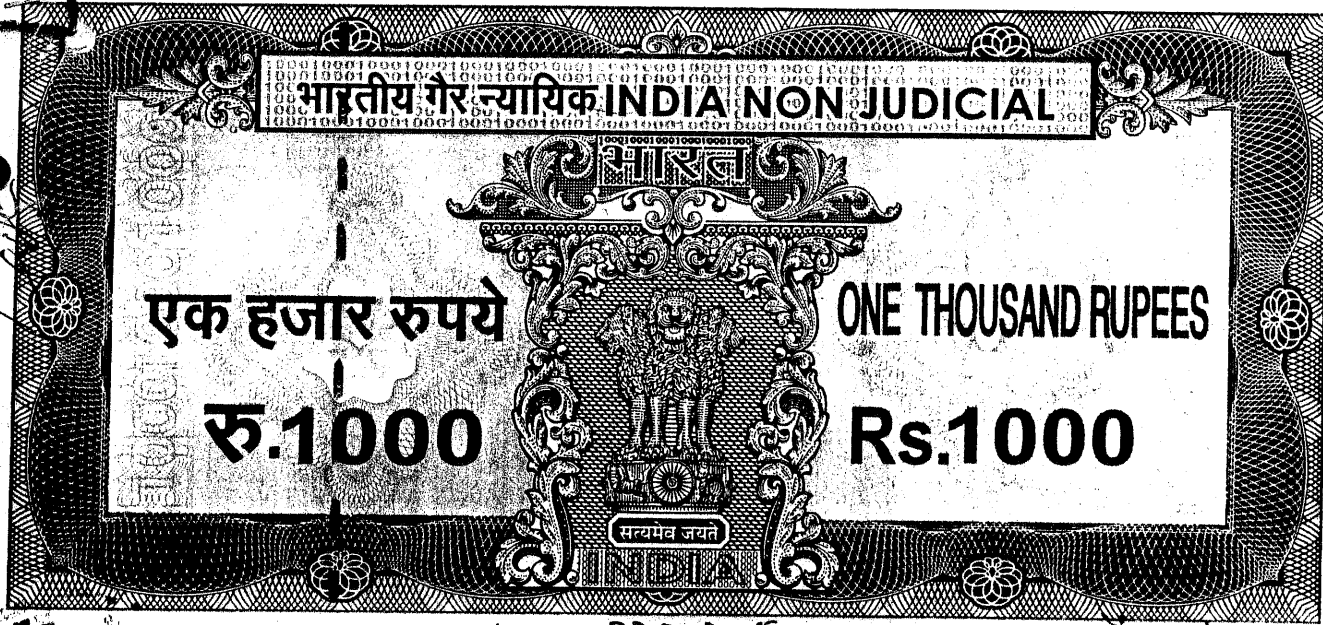
अंचल- दानापुर

जिला-पटना

तिथि-२२/०६/१८

केसल- 62/10

[illegible]



बिहार BIHAR

Serial No. 8147

3182 29.7.2015 मूल्य 1000/- पुस्तक नं. 1 पृष्ठ 425394

Deed No. 7987

Sub Registry Office, Danapur
 Summary of Endorsement

This document was presented for registration on 29/07/2015 by Arun Kumar
 A Stamp Duty of Rs. 55000/- and other Fees of Rs. 14610/- has been paid in it.

The document was found admissible. The Names, Photographs, Fingerprints and Signatures of the
 Executants and their Identifier, who have admitted execution before me, are affixed on the
 reverse page.

The document has been registered as Deed No. 7987 in Book No. 1, Volume No. 160 on pages from
 134 to 145 and has been preserved in total 12 pages in C.D. No. 25 / Year 2015

Date: 29/07/2015

Token No: 8181 / 2015

Signature with Date
 (Dhananjay Kumar Ray)
 Registering Officer, Danapur

विक्रय-पत्र

(DEED OF ABSOLUTE SALE)

(1) नाम लेख्यकारी:- श्री अरुण कुमार पिता का नाम स्व(0)

विश्वनाथ प्रसाद, निवास स्थान नासरीगंज,
 थाना-दानापुर, पत्रालय-दीवा, जिला-पटना,



सही - अरुण कुमार व्य लिखित समस्त
 कागज पत्र कर समस्त
 कुल लपका वसूल पाया
 29/07/2015

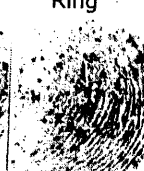
Sub District Registry Office, Danapur

Token Number 8181

Reg. Year 2015

Serial Number 8147

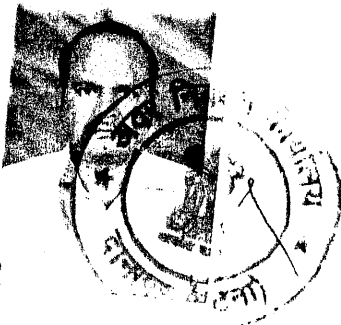
Deed Number 798

PresType	Name	Photo	Thumb	Index	Middle	Ring	Little
Claimant	Yogeshwar Jha						
Sig.	<i>Yogeshwar Jha</i> 29/07/15						
Executant	Arun Kumar		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sig.	<i>Arun Kumar</i> 29/07/2015						
Presented By	Arun Kumar						
Sig.	<i>Arun Kumar</i> 29/07/2015						
Identified By	Sadanand Kumar						
Sig.	<i>Sadanand Kumar</i> 29/07/15						

SCORE Ver.3.0

Powered by InfoSystem and Solutions, Patna

Biometric Captured By 2802sop007



Arun Kumar
29/07/2015

-: 2 :-

हाल निवास स्थान-20 अविनाश नगर बरखेड़ा पठानी
हुजुर भेल भोपाल हुजुर-462022, मध्य प्रदेश भारतीय
नागरिक जो इसके आगे विक्रेता/ लेख्यकारी के
रूप में वर्णित हैं। (जिनके साथ-साथ उनके
उत्तराधिकारी, वंशज, अधिन्यासी, हितबद्ध तथा प्रथम
पक्ष के हित में प्रशासको को शामिल किया गया है)
जिन्हें इसमें प्रथम पक्ष कहा गया है।

AHAPK7992G

(2) नाम लेख्यधारी:-

श्री योगेश्वर झा पिता का नाम स्व० रतनदेव
झा, निवास स्थान वो पत्रालय-तेतरी, थाना-नवगछिया,
जिला-भागलपुर, बिहार, भारतीय नागरिक भारतीय
नागरिक जो इसके आगे क्रेता/ लेख्यधारी के रूप
में वर्णित हैं। (जिनके साथ-साथ उनके उत्तराधि
कारी, वंशज, अधिन्यासी, हितबद्ध तथा द्वितीय पक्ष
के हित में प्रशासको को शामिल किया गया है)
जिन्हें इसमें द्वितीय पक्ष कहा गया है।

PAN-ACEPJ3934G

(3) लेख्य प्रकार :-

निर्विवाद विक्रय पत्र यानि केवाला वयला
कलामी (DEED OF ABSOLUTE SALE)

(4) मूल्यांकन :-

मो० 6,87,500/- (छः लाख सतासी हजार पाँच
सौ) रूपया मात्र



अरुण कुमार
29/07/2015

-: 3 :-

**(5) सम्पत्ति का
सम्पूर्ण विवरण:-**

मवाजी 10 धुर (दस धुर) एराजी आवासीय कास्त
हकियत रैयती कायमी नगदी वाके मौजा रूसतमपुर
शाहपुर उर्फ सिकन्दरपुर जो मोदी प्लास्टिक से
दक्षिण स्थित है परगना फुलवारी थाना वा सब
रजिस्ट्री दानापुर, सदर रजिस्ट्री वो जिला पटना,
जिसकी तौजी संख्या-5854 (पाँच हजार आठ सौ
चौवन), थाना नं0-17 (सतरह), खाता संख्या-196
(एक सौ छियानवे), सर्वे खेसरा प्लॉट सं0-524
(पांच सौ चौबीस) का अंश भाग जिसकी सलाना
लगान 0.50 पैसा अलावे शेष बजमीन्दारी बिहार
सरकार द्वारा अंचलाधिकारी दानापुर पटना है।

चौहददी

उत्तर : पार्ट प्लॉट नं0 524 अज खरीदार
हीरानाथ मिश्रा।
दक्षिण: पार्ट प्लॉट नं0 524 अज खरीदार
वन्दना झा ।
पूरब : पार्ट प्लॉट नं0 524 शिवनाथ सिंह
पश्चिम: सर्वे प्लॉट नं0 526



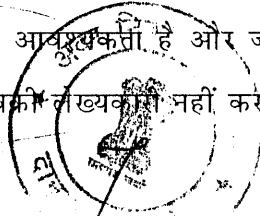
अमर कुमार
29/07/2015

(4)

संदर्भ

यह कि खाना न0-5 में वर्णित सम्पति एवं अन्य दिगर सम्पति लेख्यकारी के मौरुसी खनदानी सम्पति है वो सर्वे खेतियान में श्यामा सिंह का नाम दर्ज पया गया है श्यामा सिंह अपने दो पुत्र राम एकवाल सिंह वो रामाश्रय सिंह को सम्पूर्ण सम्पति पर वारिश जायज छोड़कर स्वर्गवास कर गये बाद स्वर्गवास अपने पिता के उक्त राम एकवाल सिंह वो रामाश्रय सिंह ने खाने नं0 5 में वर्णित सम्पति एवं अन्य दिगर सम्पति पर काबिज दखिल होकर आपस में खानगी बटवारा द्वारा बट गये बटवारा के अनुसार रामाश्रय सिंह अपने दो पुत्र शिवनाथ सिंह वो विश्वनाथ प्रसाद को वारिश जायज छोड़कर स्वर्गवास कर गये बाद स्वर्गवास अपने पिता के उक्त विश्वनाथ प्रसाद वो शिवनाथ सिंह खाने नं0 5 में वर्णित सम्पति एवं अन्य दिगर सम्पति पर काबिज दखिल होकर विश्वनाथ प्रसाद अपने पुत्र लेख्यकारी अरुण कुमार को अपने हिस्से की सम्पति पर वारिश जायज छोड़कर स्वर्गवास कर गये बाद स्वर्गवास अपने पिता के उक्त लेख्यकारी अरुण कुमार ने अपने चाचा शिवनाथ सिंह के साथ खाने नं0 5 में वर्णित सम्पति पर काबिज दखिल होकर आपस में खानगी बटवारा दिनांक 3.06.2014 ई0 को बट गये बटवारा के अनुसार खाने नं0 5 में वर्णित सम्पति एवं अन्य दिगर सम्पति पर वहैसियत सम्पति के मूल स्वामी हकदार वो दखलकार होकर वो रहकर सम्पति के उत्पत्ति आय को अपने उपयोग वो उपभोग में लाते रहे हैं वो हैं वो लेख्यकारी का नाम वसिरिस्ता बिहार सरकार के जमीन्दारी विभाग के जमाबन्दी रैयत संख्या 5028/1 में दर्ज पाया गया है ।

लेख्यकारी को तत्काल खरीदने अन्य सम्पति एवं अन्य जरूरतों की पूर्ति हेतु रुपयों की अत्यन्त आवश्यकता है और जब तक खाने संख्या 5 में वर्णित सम्पति की बिक्री लेख्यकारी नहीं करते हैं, तबतक



अरुण कुमार

29/07/2015

(5)

रूपयों का शीघ्र प्रबंध करना लेख्यकारी के वास्ते वर्तमान आय से प्रायः मुश्किल है ।

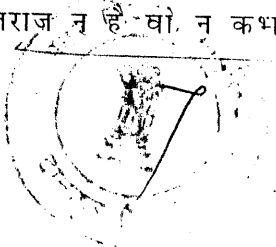
अतएव लेख्यकारी बहैसियत सम्पत्ति के मूल स्वामी वो हकदार वो दखलकार होकर वो रहकर अपने तन मन की स्वस्थतावस्था में अपना सम्पूर्ण लाभ हानि को भली भांति समझ बुझकर अपने शुभचिन्तकों एवं कानूनी सलाहकारों से परामर्श इत्यादि लेकर बिना किसी बाहरी दबाव वो डराव वो धमकाव के अपने समस्त ज्ञानेन्द्रियों के साथ खान नं०- 5 में वर्णित सम्पत्ति को समयानुसार उचित मूल्य मो० 6,87,500/- (छः लाख सतासी हजार पाँच सौ) रूपया मात्र में बदस्त लेख्यधारी खाना नं०-2 को बेचा वो बैय ला कलामी किया । वो लेख्य निष्पादन का एकरार सहर्ष स्वीकार किया।

यह कि मूल्य के कुल रूपयों को लेख्यकारी इस वशिका पर हस्ताक्षर के समय खरीदार पक्ष से नगद वसूल पाकर एकरार सहर्ष स्वीकार किया । अब लेख्यकारी को एक नया पैसा भी क्रेता पक्ष के यहाँ बाकी न रहा ना कभी होगा।

खाने नं० 5 में वर्णित सम्पत्ति में जितना भी हक वो दखल कब्जा आज तक लेख्यकारी या उनके उत्तराधिकारी को प्राप्त था या भविष्य में प्राप्त होता रहता वह सब कुल हक वो दखल कब्जा आज के दिन से मूल्य के कुल रूपयों के बदले हस्तांतरित होकर खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारी को प्राप्त हुआ वो भविष्य में प्राप्त होता रहेगा । खरीदार खाने नं० 5 में वर्णित सम्पत्ति पर बहैसियत सम्पत्ति के मूल सर्वाधिकारी वा हकदार वो दखलकार होकर वो रहकर जायदाद मजकुर को जिस प्रकार से चाहे अपने उपयोग वो उपभोग में लावे वो नाम अपनी वजाय लेख्यकारी के वसिरिस्ता बिहार सरकार के जमीन्दारी विभाग में इस बिक्रय पत्र के माध्यम से नामांकित करा लवेंगे । उस वक्त लेख्यकारी या उनके उत्तराधिकारी को किसी प्रकार का कोई उजूर वो एतराज न है वो न कभी होगा वो यदि

आनन्द कुमार

29/07/2015

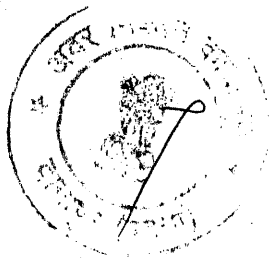


(6)

लेख्यकारी या उनके उत्तराधिकारी किसी गलत बयान से किसी किस्म के दावा या उजूरदारी निस्वत एराजी मजकुर या जरे सम्मन के करें तो उनकी उजूरदारी या दावा बमोकावले वशिका बिक्रय पत्र के रद्द वो गैर कानूनी होगा वो किसी भी अदालत में कानूनी कारवाई करने योग्य नहीं होगा।

लेख्यकारी (विक्रेता) ने लेख्यधारी (क्रेता) को विश्वास दिलाए है कि खाने नं0 5 में वर्णित सम्पति हर प्रकार के अधिकार सम्बन्धी झंझट वो ऋण भार सरकारी वो गैर सरकारी से पुर्णतः मुक्त वो पाक साफ है। वो आज तक लेख्यकारिणी या उनके उत्तराधिकारी ने खाने नं0 5 में वर्णित सम्पति को किसी अन्य के साथ किसी प्रकार का कोई हस्तांतरण नहीं किये हैं वो नहीं लिखें हैं। वो अगर खिलाफ किसी प्रकार का अधिकार संबंधी झंझट वो ऋण भार सरकारी वो गैर सरकारी खाने नं0 5 में वर्णित सम्पति में पाया जाये या लेख्यकारी या उनके उत्तराधिकारी के हस्तक्षेप के फलस्वरूप खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारी सम्पति के अंश या कुल भुभाग से बेदखल कर दिये जाये जिससे किसी किस्म के कोई क्षति खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारी को हो तो वैसी हालत में खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारी अपनी क्षतिपूर्ति वकदर बेदखली या जो जो ऋण भार उनको अदाय करना पड़े उसे लेख्यकारिणी से या उनके उत्तराधिकारी से या उनके अन्यान्य चलाचल सम्पति से कानूनी कारवाई करके वसूल वो बेवाक कर लेवेंगे। उस वक्त लेख्यकारी या उनके किसी भी उत्तराधिकारी को किसी प्रकार का उजूर वो एतराज न है वो न कभी होगा।

अनन्य कुमार
29/07/2015



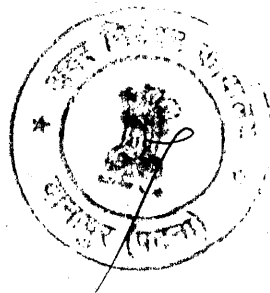
इस वास्ते यह वशिका निर्विवाद बिक्रय पत्र यानि केवाला बैय
ला कलामी लिख दिया कि समय पर काम आवे वो प्रमाण रहे ।

दि: 29-7-2015

29/07/2015

29/07/2015

8/28/71 ✓



प्रा.सं.प.क.ती

नाटकशास्त्रम्
29.7.2015

29.7.2015
Gopal Singh, 1st floor, 1st floor, 1st floor
1st floor, 1st floor, 1st floor

रमेश जीवा
२५/११/७४
कस्ताभ

रसीद मालगुजारी
नाम सर्कल । नाम मौजा मय
थाना वो थाना नम्बर

७.९ वि०स०मु०, पटना
फरद मालकी/फरद रियासी।
नाम रैयत मय बल्लिदयत जगन्नाथ श्री

00681172

97112	105-912 96	श्री च/ग/20/ म
-------	---------------	----------------

अराजी भावली.

5.11.2000

जोत का सालाना मांग मय तफसील (बकाया वो हाल) मौजूदा साल का

2098-78, मांग बाबत		सालाना	वकाया				हाल
			तीन वर्ष से ज्यादा	3रा वर्ष	2रा वर्ष	1रा वर्ष	
माल- } (नकदी)	७ —						7 —
गुजारी } (भावली)	०.४८						०.४८
सेस	०.८						०.८
* सुद	०.८						०.८
मुतफरकात	०.८						०.८
मीजान	२.४८						२.४८

तफसील अदायकारी ।

2014-15 अदायकारी बाबत		बकाया				मौतालबा हाल	फाजिल
		तीन वर्ष से ज्यादा ।	3रा वर्ष ।	2रा वर्ष ।	1ला वर्ष ।		
माल— } (नकदी)						9—	
गुजारी } (भावली)						0.52	
सेस						0.7	
*सुद						0.5	
मुतफरकात						0.2	
मीजान अदायकारी						2.82	

- (1) मीजान कुल (लफजों में) — ~~फा~~ ~~क~~ ~~पलान~~ ~~ह~~ ~~प~~ ~~ह~~
(2) नाम देहिन्दा — ~~ह~~
(3) कुल बकाया — ~~ह~~ दस्खत वो तारीख 3

दस्खत वो तारीख अमला तहसील मजिस्ट्रेट

महल का बकाया मालगुजारी पर (सेवाय ऐसे बकायों पर जिन्हें

500

११०८१०००१६ धुम २९९३/९५-९६

आदेश पत्रक

अनुसूची १४ फॉर्म सं० ५६२

(देखें अभिलेख 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक संख्या	ता०	हल्का
अंचल का नाम	2613/15-16	जिला
आदेश की क्र. सं. और ता०	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

१

२

३

2613/15

श्री ~~प्राणेश्वर~~ ~~का~~

वत्स ~~राम~~ ~~का~~

ग्राम ~~रामपुर~~ थाना ~~बगदा~~ जिला ~~बगदा~~

होवाला सं० 67-26 दिनांक 22/11/92 के आधार पर

निम्नांकित जमीन पर दाखिल खारिज हेतु आवेदन-पत्र दाखिल किया है।

प्लॉट का नाम प्लॉट नं० खसता खसरा पुरानी

~~सिफ-वाट~~ 748 228 5114

मुल आवेदन-पत्र हल्का कमचारा में अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन हेतु दे
दें। महाल पर सूचना जारी कर आपूर्ति की माँग करें। अभिलेख दिनांक 11/9/15
को उपस्थित करें। लिखाया एवं शुद्ध किया।

अंचलाधिकारी

अंचलाधिकारी

महाल पर तामिला नोटिस प्राप्त है। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है। कर्मचारी का प्रतिवेदन अंचल
निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है उन लोगों ने आवेदन के नाम दाखिल करने की अनुशंसा
किए हैं फलतः उनके अनुशंसा के आधार पर दाखिल खारिज की ~~जाती~~
दिया जाता है लिखाया एवं शुद्ध किया शुद्धिपत्र निर्गत करें।

अंचलाधिकारी

अंचलाधिकारी

अंचलाधिकारी

अंचलाधिकारी

दाखिल खारिज - प्रतिवेदन

मु० केश नम्बर २६१३

स्थल-२०१२-५३

हल्का नम्बर- 6

अंचल- दानापुर

ग्राम- सिव्वा-दापुर

राजस्व थाना नम्बर-१७

जिला-पटना

मु० में जमीन रकबा-

प्राप्त का जरिया-खरीद

जरशमन-

केबाल- 6V-26

तिथि-२२/०६/१२

जमाबंदी रयत का नाम	खाता	प्लोट	रकबा	लगान	जमाबंदी नम्बर
सतवा कुमार पिता - लखन प्रियान्व प्रसाद सा - नारायण	४० १२६	१११ ८६१ ४२४	०.४६६	४-	४२२ अ. अ. महादय आवृत्ति जमीन की जमाबंदी विवेका के साथ यह दर्ज है जमीन में साम, मल्लीक, डवान, ३६ खेत में मुफ्त है जमीन रयती है एवं कारक के कारका से है सात, साम, मल्ली यह जमाबंदी के साथ जमाबंदी में दर्ज है जमीन में Rahul २०१२ जमाबंदी
नया जमाबंदी रयत जी योगेश्वर का पिता - लखन प्रियान्व का सा - ततरी पाना - नकादिया पिता - मागलहर	११६	४२४	५.११४	१-	खाना उपराय राजा वसुन्ती से है जमीन ज है जमीन का शक कि खरीदने के जो सक्ती है राजेश्वर २०१२

दाखिल खारिज - प्रतिवेदन



बिहार BIHAR

3184 27.7.2015 1000 655091

Serial No. 8146

Deed No. 7986

Sub Registry Office, Danapur

Govt. of Bihar

Sub Registry Office, Danapur

Summary of Endorsement

This document was presented for registration on 29/07/2015 by Arun Kumar
A Stamp Duty of Rs. 55000/- and other Fees of Rs. 14610/- has been paid in it.

The document was found admissible. The Names, Photographs, Fingerprints and Signatures of the
Executants and their Identifier, who have admitted execution before me, are affixed on the
reverse page.

The document has been registered as Deed No. 7986 in Book No. 1, Volume No. 160 on pages from
122 to 133 and has been preserved in total 12 pages in C.D. No. 25 / Year 2015

Date: 29/07/2015

Token No: 8179 / 2015

Signature with Date
(Dhananjay Kumar Rao)
Registering Officer, Danapur

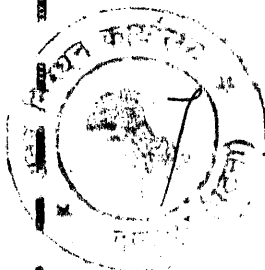
विक्रय-पत्र

(DEED OF ABSOLUTE SALE)

(1) नाम लेख्यकारी:- श्री अरूण कुमार पिता का नाम स्व०

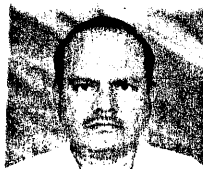
विश्वनाथ प्रसाद, निवास स्थान-नासरीगंज,

थाना-दानापुर, पत्रालय-दीघा, जिला-पटना,



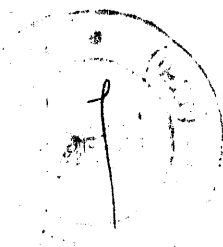
सही - अरूण कुमार चयन
कागज परकर समझ
कुल लपका वसूल पाया
29/07/2015

PresType	Name	Photo	Thumb	Index	Middle	Ring
Claimant	Pashupati Choudhary					
Sig.	पशुपति चौधरी 29-07-15					
Presented By	Arun Kumar					
Sig.	अरुण कुमार 29/07/2015		N/A	N/A	N/A	N/A
Executant	Arun Kumar					
Sig.	अरुण कुमार 29/07/2015		N/A	N/A	N/A	N/A
Identified By	Sadanand Kumar					
Sig.	सदानन्द कुमार 29/07/15					



अरुण कुमार

29/07/2015



(5) सम्पत्ति का
सम्पूर्ण विवरण:-

मवाजी 10 धुर (दस धुर) एराजी आवासीय कास्त
हकियत रैयती कायमी नगदी वाके मौजा रूसतमपुर
शाहपुर उर्फ सिकन्दरपुर जो मोदी प्लास्टिक से
दक्षिण स्थित है परगना फुलवारी थाना वा सब
रजिस्ट्री दानापुर, सदर रजिस्ट्री वो जिला पटना,
जिसकी तौजी संख्या-5854 (पाँच हजार आठ सौ
चौवन), थाना नं0-17 (सतरह), खाता संख्या-196
(एक सौ छियानर्व), सर्वे खेसरा प्लॉट सं0-524
(पांच सौ चौबीस) का अंश भाग जिसकी सलाना
लगान 0.50 पैसा अलावे शेष बजमीन्दारी बिहार
सरकार द्वारा अंचलाधिकारी दानापुर पटना है।

चौहददी

उत्तर : पार्ट प्लॉट नं0 524 अज खरीदार
निर्मला देवी
दक्षिण : पार्ट प्लॉट नं0 524 अज खरीदार
हीरानाथ मिश्रा।
पूरब : पार्ट प्लॉट नं0 524 शिवनाथ सिंह
पश्चिम : सर्वे प्लॉट नं0 526



अलग कुमार

29/07/2015

29/07/2015

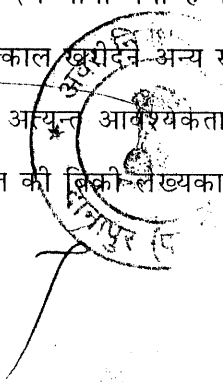
(4)

संदर्भ

यह कि खाना न०-5 में वर्णित सम्पति एवं अन्य दिगर सम्पति लेख्यकारी के मौरूसी खनदानी सम्पति है वो सर्वे खतियान में श्यामा सिंह का नाम दर्ज पाया गया है श्यामा सिंह अपने दो पुत्र राम एकवाल सिंह वो रामाश्रय सिंह को सम्पूर्ण सम्पति पर वारिश जायज छोड़कर स्वर्गवास कर गये बाद स्वर्गवास अपने पिता के उक्त राम एकवाल सिंह वो रामाश्रय सिंह ने खाने न० 5 में वर्णित सम्पति एवं अन्य दिगर सम्पति पर काबिज दखिल होकर आपस में खानगी बटवारा द्वारा बट गये बटवारा के अनुसार रामाश्रय सिंह अपने दो पुत्र शिवनाथ सिंह वो विश्वनाथ प्रसाद को वारिश जायज छोड़कर स्वर्गवास कर गये बाद स्वर्गवास अपने पिता के उक्त विश्वनाथ प्रसाद वो शिवनाथ सिंह खाने न० 5 में वर्णित सम्पति एवं अन्य दिगर सम्पति पर काबिज दखिल होकर विश्वनाथ प्रसाद अपने पुत्र लेख्यकारी अरूण कुमार को अपने हिस्से की सम्पति पर वारिश जायज छोड़कर स्वर्गवास कर गये बाद स्वर्गवास अपने पिता के उक्त लेख्यकारी अरूण कुमार ने अपने चाचा शिवनाथ सिंह के साथ खाने न० 5 में वर्णित सम्पति पर काबिज दखिल होकर आपस में खानगी बटवारा दिनांक 3.06.2014 ई० को बट गये बटवारा के अनुसार खाने न० 5 में वर्णित सम्पति एवं अन्य दिगर सम्पति पर वहैसियत सम्पति के मूल स्वामी हकदार वो दखलकार होकर वो रहकर सम्पति के उत्पतित आय को अपने उपयोग वो उपभोग में लाते रहे हैं वो हैं वो लेख्यकारी का नाम वसिरिस्ता बिहार सरकार के जमीन्दारी विभाग के जमाबन्दी रैयत संख्या 5028/1 में दर्ज पाया गया है ।

लेख्यकारी को तत्काल खुरीदने अन्य सम्पति एवं अन्य जरूरतों की पूर्ति हेतु रूपयों की अन्य आवश्यकता है और जब तक खाने संख्या 5 में वर्णित सम्पति की बिक्री लेख्यकारी नहीं करते हैं, तबतक

अरूण कुमार
29/07/2015



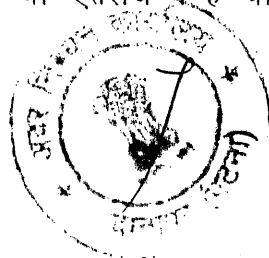
(5)

रूप्यों का शीघ्र प्रबंध करना लेख्यकारी के वास्ते वर्तमान आय से प्रायः मुश्किल है ।

अतएव लेख्यकारी बहैसियत सम्पत्ति के मूल स्वामी वो हकदार वो दखलकार होकर वो रहकर अपने तन मन की स्वस्थतावस्था में अपना सम्पूर्ण लाभ हानि को भली भाँति समझ बुझकर अपने शुभचिन्तकों एवं कानूनी सलाहकारों से परामर्श इत्यादि लेकर बिना किसी बाहरी दबाव वो डराव वो धमकाव के अपने समस्त ज्ञानेन्द्रियों के साथ खान नं०- 5 में वर्णित सम्पत्ति को समयानुसार उचित मूल्य मो० 6,87,500/- (छः लाख सतासी हजार पाँच सौ) रूपया मात्र में बदस्त लेख्यधारी खाना नं०-2 को बेचा वो बैय ला कलामी किया । वो लेख्य निष्पादन का एकरार सहर्ष स्वीकार किया।

यह कि मूल्य के कुल रूप्यों को लेख्यकारी इस वशिका पर हस्ताक्षर के समय खरीदार पक्ष से नगद वसूल पाकर एकरार सहर्ष स्वीकार किया । अब लेख्यकारी को एक नया पैसा भी क्रेता पक्ष के यहाँ बाकी न रहा ना कभी होगा।

खाने नं० 5 में वर्णित सम्पत्ति में जितना भी हक वो दखल कब्जा आज तक लेख्यकारी या उनके उत्तराधिकारी को प्राप्त था या भविष्य में प्राप्त होता रहता वह सब कुल हक वो दखल कब्जा आज के दिन से मूल्य के कुल रूप्यों के बदले हस्तांतरित होकर खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारी को प्राप्त हुआ वो भविष्य में प्राप्त होता रहेगा । खरीदार खाने नं० 5 में वर्णित सम्पत्ति पर बहैसियत सम्पत्ति के मूल सर्वाधिकारी वा हकदार वो दखलकार होकर वो रहकर जायदाद मजकुर को जिस प्रकार से चाहे अपने उपयोग वो उपभोग में लावे वो नाम अपनी वजाय लेख्यकारी के वसिरिस्ता बिहार सरकार के जमीन्दारी विभाग में इस बिक्रय पत्र के माध्यम से नामांकित करा लवेंगे । उस वक्त लेख्यकारी या उनके उत्तराधिकारी को किसी प्रकार का कोई उजूर वो एतराज न है वो न कभी होगा वो यदि



उत्तराधिकारी
29/07/2015

(6)

लेख्यकारी या उनके उत्तराधिकारी किसी गलत बयान से किसी किस्म के दावा या उजूरदारी निस्वत एराजी मजकुर या जरे सम्मन के करें तो उनकी उजूरदारी या दावा बमोकावले वशिका बिक्रय पत्र के रद्द वो गैर कानूनी होगा वो किसी भी अदालत में कानूनी कारवाई करने योग्य नहीं होगा।

लेख्यकारी (विक्रेता) ने लेख्यधारी (क्रेता) को विश्वास दिलाए है कि खाने नं0 5 में वर्णित सम्पति हर प्रकार के अधिकार सम्बन्धी इंझट वो ऋण भार सरकारी वो गैर सरकारी से पुर्णतः मुक्त वो पाक साफ है। वो आज तक लेख्यकारिणी या उनके उत्तराधिकारी ने खाने नं0 5 में वर्णित सम्पति को किसी अन्य के साथ किसी प्रकार का कोई हस्तांतरण नहीं किये हैं वो नहीं लिखें हैं। वो अगर खिलाफ किसी प्रकार का अधिकार संबंधी इंझट वो ऋण भार सरकारी वो गैर सरकारी खाने नं0 5 में वर्णित सम्पति में पाया जाये या लेख्यकारी या उनके उत्तराधिकारी के हस्तक्षेप के फलस्वरूप खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारी सम्पति के अंश या कुल भुभाग से बेदखल कर दिये जाये जिससे किसी किस्म के कोई क्षति खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारी को हो तो वैसी हालत में खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारी अपनी क्षतिपूर्ति वकदर बेदखली या जो जो ऋण भार उनको अदाय करना पडे उसे लेख्यकारिणी से या उनके उत्तराधिकारी से या उनके अन्यान्य चलाचल सम्पति से कानूनी कारवाई करके वसूल वो बेवाक कर लेवेंगे। उस वक्त लेख्यकारी या उनके किसी भी उत्तराधिकारी को किसी प्रकार का उजूर वो एतराज न है वो न कभी होगा।



आनंद कुमार
29/07/2015

(7)

इस वास्ते यह वशिका निर्विवाद बिक्रय पत्र यानि केवाला बैय
ला कलामी लिख दिया कि समय पर काम आवे वो प्रमाण रहे ।

(समाप्त)

साक्ष्यगण

1. अदानन्द कुमार
पिता - दयानन्द सिंह
ग्राम - रानीपुर, पो-कोइरा
धाना - पालीगंज, जिला-पटना
29/07/15

2. नन्द किशोर प्रेहता
पिता स्वर्गीय वि.शुन प्रेहता
नासरीगंज दानापुर
पटना
दि: 29-7-2015

लेख्यकारी का हस्ताक्षर

अदानन्द कुमार
29/07/2015

लेख्यधारी का हस्ताक्षर

पुष्पति-प्रीतिका
29/07/2015

Online Bank challan checked

अदानन्द कुमार
29/07/15

प्रारूपकर्ता

नन्द किशोर प्रेहता
29-7-2015

दिनांक 29/07/15
आ. नं. 48/07/15

हस्तावेज जांचा
29-7-15

29/07/2015

Sch. XIV.—F.No. 180 V.

रसीद मालगुजारी

नाम सर्कल। नाम मौजा मय

थाना वो थाना नम्बर

फरद मालकी
नाम रयत मय वल्लिमा

00681173

४२२३

पमाएल	१६	१६	१६
-------	----	----	----

अराजी नगदी

अराजी भावली

व भावली।

१०॥ २२८

पिता - वल्लिमा - जो - चाली (ना बमहा, अराफ)

जोत का सालाना मांग मय तफसील (बकाया वो हाल) मौजुदा

माल- गुजारी सेस *सुद मुतफरकात मीजान	(नकदी) (भावली)	सालाना	बकाया				हाल
			तीन वर्ष से ज्यादा।	३रा वर्ष।	२रा वर्ष।	१रा वर्ष।	
१०९८-१६	मांग बाबत	१०९८					१०९८
माल- गुजारी सेस *सुद मुतफरकात मीजान	(नकदी) (भावली)	१०९८ ०९८ ०९८ ०९८ १०९८					१०९८ ०९८ ०९८ ०९८ १०९८

तफसील अदायकारी।

माल- गुजारी सेस *सुद मुतफरकात मीजान अदायकारी	(नकदी) (भावली)	तीन वर्ष से ज्यादा।	३रा वर्ष।	२रा वर्ष।	१ला वर्ष।	मालवा हाल	फाजिल
१०९८-१६	अदायकारी बाबत						
माल- गुजारी सेस *सुद मुतफरकात मीजान अदायकारी	(नकदी) (भावली)					१०९८ ०९८ ०९८ ०९८ १०९८	

- (1) मीजान कुल (लफजों में) — १०९८-१६
(2) नाम देहिन्दा — १०९८-१६
(3) कुल बकाया — १०९८-१६

दस्खत वो तारीख अमला तहसील

* जस महाल का बकाया मालगुजारी पर (सेवाय ऐसे बकायों पर जिन्हें

अमला है।

१०९८-१६

११/११

आदेश पत्रक

अनुसूची १४ फरम सं० ५६२

(देखें अभिलेख 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक संख्या	ता०	हल्का
अंचल का नाम	2615/15-16	जिला
आदेश की क्र. सं. और ता०	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
१	२	३

26/8/15

श्री फरस पति श्री चवली
बल्द भाई वैद्यनाथ श्री चवली
ग्राम ठसठ थाना अशाहि पंचाजिला मध्यबनी ने
केवाला सो 65-26 दिनांक 24/6/15 के आधार पर
निम्नांकित जमीन पर दाखिल खारिज हेतु आवेदन-पत्र दाखिल किया है।
मौज का नाम लोबी नं० खाता खसरा एराजी
ठसठ 946 828 5112

11/9/15

मुल आवेदन-पत्र हल्का कर्मचारी को अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन हेतु दे
दे। महाल पर सूचना जारी कर अपूर्ण को पूर्ण करें। अभिलेख दिनांक 11/9/15
को उपस्थित करें। लिखाया एवं सुदृढ़ किया।

अंचलाधिकारी

अंचलाधिकारी

महाल पर तामिल नोटिस प्राप्त है। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है। कर्मचारी का प्रतिवेदन अंचल
निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है उन लोगों ने आवेदन के नाम दाखिल करने की अनुमति
दिए हैं फलतः उनके अनुमति के आधार पर दाखिल खारिज को
दिया जाता है लिखाया एवं सुदृढ़ किया सुदृढ़ निर्मित करें।

अंचलाधिकारी

अंचलाधिकारी

दाखिल खारिज - प्रतिवेदन

मु० केश नम्बर ८६१५

स्थल-८०९८-५६

हल्का नम्बर- 6

अंचल- दानापुर

ग्राम- ~~बिक-५१८८~~

राजस्व आना नम्बर-१६

जिला-पटना

मु० मे जमीन रकबा-

प्राप्त का जरिया- ~~खर्च~~

जरशमन-

केवाल- 6४-८६

तिथि- २५/०६/१२

जमाबंदी रयत का नाम	खाता	प्लोट	रकबा	लगान	जमाबंदी नम्बर
--------------------	------	-------	------	------	---------------

आमरा कुमारी
पिता- ~~बिक-५१८८~~
पिता- ~~बिक-५१८८~~

खाता ४०
१४६
प्लोट ११९
४६९
४२४
रकबा ०.४६३
लगान ४-

जमाबंदी नम्बर ४०२२
७
आमरा कुमारी
जमाबंदी जमीन की
जमाबंदी मिट्टी के नाम
से वर्ज है। जमीन में
आम, मक्का, जल, जल
खेत में मुख्य है। जमीन
रकबा ०.४६३ एवं आमरा कुमारी
के पत्नी से ली
आमरा कुमारी, पत्नी
पर जमाबंदी नम्बर ४०२२
की जमाबंदी की जा सकती है।

नया हुआ रकबा

४०५
२१५

आमरा कुमारी
पत्नी

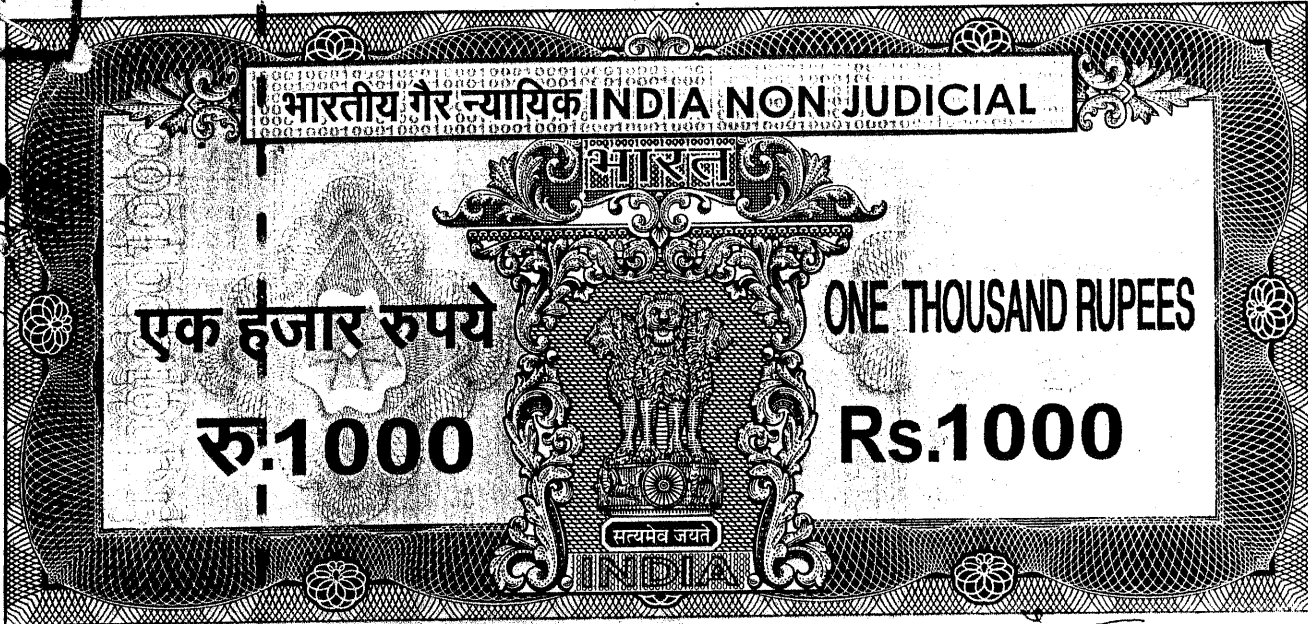
४०५
२१५

नया जमाबंदी रयत
की फुलपति चौधरी
पिता- श्री वैद्यनाथ चौधरी
पिता- बसन्त
पिता- अमरा कुमारी पत्नी
पिता- मधुबनी

खाता १४६
प्लोट ४२४
रकबा ५.११
लगान १-

आमरा कुमारी पत्नी
पत्नी से ली है।
पत्नी से ली है।
पत्नी से ली है।
पत्नी से ली है।
पत्नी से ली है।

आमरा कुमारी पत्नी
पत्नी से ली है।



बिहार BIHAR

Serial No. 8148

Deed No. 7988

Govt. of Bihar
Sub-Registry Office, Danapur

Summary of Endorsement

This document was presented for registration on 29/07/2015 by Arun Kumar
A Stamp Duty of Rs. 55000/- and other Fees of Rs. 14610/- has been paid in it.

The document was found admissible. The Names, Photographs, Fingerprints and Signatures of the
Executants and their Identifier, who have admitted execution before me, are affixed on the
reverse page.

The document has been registered as Deed No. 7988 in Book No. 1, Volume No. 160 on pages from
146 to 157 and has been preserved in total 12 pages in C.D. No. 25 / Year 2015

Date: 29/07/2015

Token No: 8186 / 2015

Signature with Date
(Dhananjay Kumar Ray)
Registering Officer, Danapur

विक्रय-पत्र

(DEED OF ABSOULUTE SALE)

(1) नाम लेख्यकारी:- श्री अरूण कुमार पिता का नाम स्व०
विश्वनाथ प्रसाद, निवास स्थान-नासरीगंज,
थाना-दानापुर, पत्रालय-दीघा, जिला-पटना,

सही - अरूण कुमार व्यक्तिक
सो सही कागज परकर स
कुल व्यक्त व्यक्त
29/07/2015

Sub District Registry Office, Danapur

Token Number 8186 Reg. Year 2015 Serial Number 8148 Deed Number

PresType Name
Claimant Deepak Kumar

Sig. दीपक कुमार
29/7/15

Claimant Kundan Kumar Jha

Sig. कुन्दन कुमार झा
29/7/15

Presented By Arun Kumar

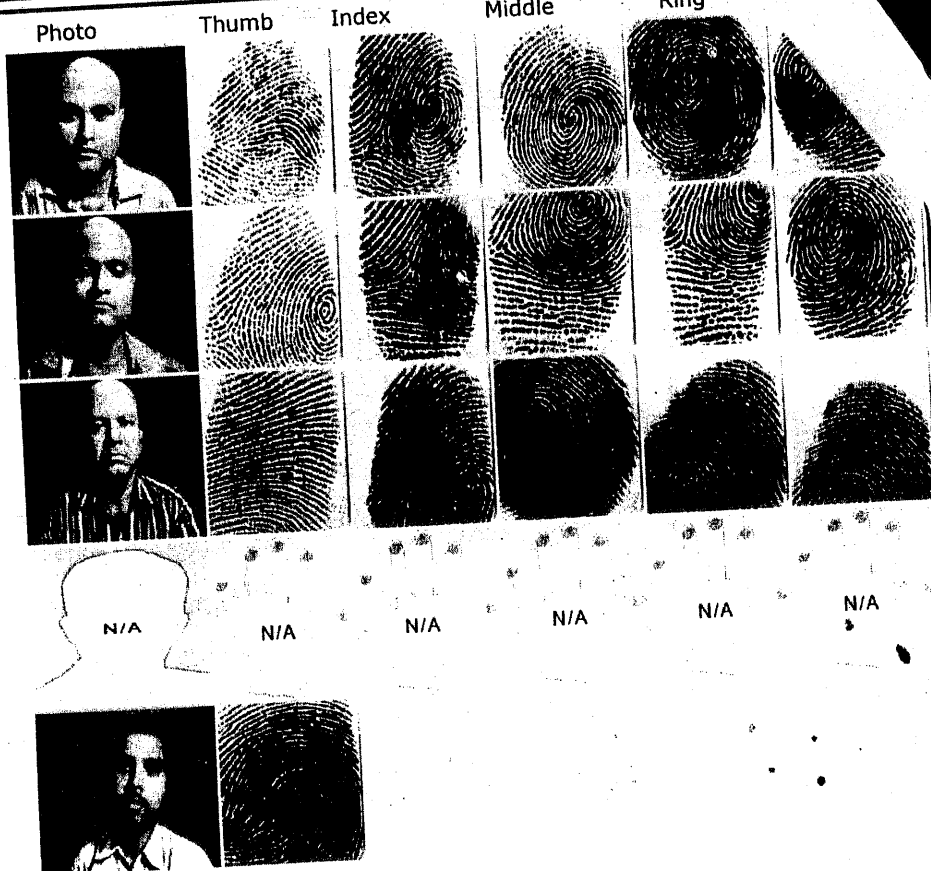
Sig. अरुण कुमार
29/07/2015

Executant Arun Kumar

Sig. अरुण कुमार
29/07/2015

Identified By Sadanand Kumar

Sig. सदानन्द कुमार
29/07/15



SCOT E



Powered by InfoSystem and Solutions, Patna

Biometric Captured By 2802sop007

अरुण कुमार
29/07/2015

हाल निवास स्थान-20 अविनाश नगर बरखेड़ा पठानी
हुजुर भेल भोपाल हुजुर-462022, मध्य प्रदेश भारतीय
नागरिक जो इसके आगे विक्रेता/ लेख्यकारी के
रूप में वर्णित हैं। (जिनके साथ-साथ उनके
उत्तराधिकारी, वंशज, अधिन्यासी, हितबद्ध तथा प्रथम
पक्ष के हित में प्रशासको को शामिल किया गया है)
जिन्हें इसमें प्रथम पक्ष कहा गया है।

AINAPR799207

(2) नाम लेख्यधारीगण:-

(1) श्री दीपक कुमार

(2) श्री कुन्दन कुमार झा दोनों के पिता का
नाम स्व० विजेन्द्र झा निवास स्थान वो पत्रालय-
महरैल, थाना- रुद्रपुर, जिला-मधुबनी, बिहार, भारतीय
नागरिक भारतीय नागरिक जो इसके आगे क्रेताओं/
लेख्यधारीगण के रूप में वर्णित हैं। (जिनके
साथ-साथ उनके उत्तराधिकारी, वंशज, अधिन्यासी,
हितबद्ध तथा द्वितीय पक्ष के हित में प्रशासको को
शामिल किया गया है) जिन्हें इसमें द्वितीय पक्ष
कहा गया है।

(3) लेख्य प्रकार :-

निर्विवाद विक्रय पत्र यानि केवाला वयला
कलामी (DEED OF ABSOLUTE SALE)

(4) मूल्यांकन :-

मो० 6,87,500/- (छः लाख सतासी हजार पाँच
सौ) रूपया मात्र।

अनन्य कुमार

29/07/2015

(5) सम्पत्ति का
सम्पूर्ण विवरण:-

मवाजी 10 धुर (दस धुर) एराजी आवासीय कास्त
हकियत रैयती कायमी नगदी वाके मौजा रूसतमपुर
शाहपुर उर्फ सिकन्दरपुर जो मोदी प्लास्टीक से
दक्षिण स्थित है परगना फुलवारी थाना वा सब
रजिस्ट्री दानापुर, सदर रजिस्ट्री वो जिला पटना,
जिसकी तौजी संख्या-5854 (पाँच हजार आठ सौ
चौवन), थाना नं0-17 (सतरह), खाता संख्या-196
(एक सौ छियानवे), सर्वे खेसरा प्लॉट सं0-524
(पांच सौ चौबीस) का अंश भाग जिसकी सलाना
लगान 0.50 पैसा अलावे शेष बजमीन्दारी बिहार
सरकार द्वारा अंचलाधिकारी दानापुर पटना है।

चौहददी

उत्तर : पार्ट प्लॉट नं0 524 अज खरीदार
वन्दना कुमारी ।
दक्षिण : पार्ट प्लॉट नं0 524 अज खरीदार
निर्मला देवी ।
पूरब : पार्ट प्लॉट नं0 524 शिवनाथ सिंह
पश्चिम : सर्वे प्लॉट नं0 526

अरुण कुमार
29/07/2015

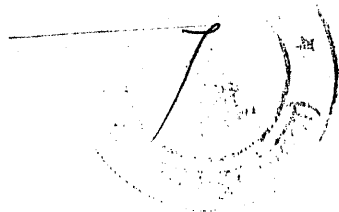
(4)

संदर्भ

यह कि खाना न0-5 में वर्णित सम्पति एवं अन्य दिगर सम्पति लेख्यकारी के मौरूसी खनदानी सम्पति है वो सर्वे खतियान में श्यामा सिंह का नाम दर्ज पाया गया है श्यामा सिंह अपने दो पुत्र राम एकवाल सिंह वो रामाश्रय सिंह को सम्पूर्ण सम्पति पर वारिश जायज छोड़कर स्वर्गवास कर गये बाद स्वर्गवास अपने पिता के उक्त राम एकवाल सिंह वो रामाश्रय सिंह ने खाने नं0 5 में वर्णित सम्पति एवं अन्य दिगर सम्पति पर काबिज दखिल होकर आपस में खानगी बटवारा द्वारा बट गये बटवारा के अनुसार रामाश्रय सिंह अपने दो पुत्र शिवनाथ सिंह वो विश्वनाथ प्रसाद को वारिश जायज छोड़कर स्वर्गवास कर गये बाद स्वर्गवास अपने पिता के उक्त विश्वनाथ प्रसाद वो शिवनाथ सिंह खाने नं0 5 में वर्णित सम्पति एवं अन्य दिगर सम्पति पर काबिज दखिल होकर विश्वनाथ प्रसाद अपने पुत्र लेख्यकारी अरूण कुमार को अपने हिस्से की सम्पति पर वारिश जायज छोड़कर स्वर्गवास कर गये बाद स्वर्गवास अपने पिता के उक्त लेख्यकारी अरूण कुमार ने अपने चाचा शिवनाथ सिंह के साथ खाने न0 5 में वर्णित सम्पति पर काबिज दखिल होकर आपस में खानगी बटवारा दिनांक 3.06.2014 ई0 को बट गये बटवारा के अनुसार खाने नं0 5 में वर्णित सम्पति एवं अन्य दिगर सम्पति पर वहैसियत सम्पति के मूल स्वामी हकदार वो दखलकार होकर वो रहकर सम्पति के उत्पतित आय को अपने उपयोग वो उपभोग में लाते रहे हैं वो हैं वो लेख्यकारी का नाम वसिरिस्ता बिहार सरकार के जमीन्दारी विभाग के जमाबन्दी रैयत संख्या 5028/1 में दर्ज पाया गया है ।

लेख्यकारी को तत्काल खरीदने अन्य सम्पति एवं अन्य जरूरतों की पूर्ति हेतु रूपयों की अत्यन्त आवश्यकता है और जब तक खाने संख्या 5 में वर्णित सम्पति की बिक्री लेख्यकारी नहीं करते हैं, तबतक

अरूण कुमार
29/07/2015



(5)

रूपयों का शीघ्र प्रबंध करना लेख्यकारी के वास्ते वर्तमान आय से प्रायः मुश्किल है ।

अतएव लेख्यकारी बहैसियत सम्पत्ति के मूल स्वामी वो हकदार वो दखलकार होकर वो रहकर अपने तन मन की स्वस्थतावस्था में अपना सम्पूर्ण लाभ हानि को भली भांति समझ बुझकर अपने शुभचिन्तकों एवं कानूनी सलाहकारों से परामर्श इत्यादि लेकर बिना किसी बाहरी दबाव वो डराव वो धमकाव के अपने समस्त ज्ञानेन्द्रियों के साथ खान नं०- 5 में वर्णित सम्पत्ति को समयानुसार उचित मूल्य मो० 6,87,500/- (छः लाख सतासी हजार पाँच सौ) रूपया मात्र में बदस्त लेख्यधारीगण खाना नं०-2 को बेचा वो बैय ला कलामी किया । वो लेख्य निष्पादन का एकरार सहर्ष स्वीकार किया।

यह कि मूल्य के कुल रूपयों को लेख्यकारी इस वशिका पर हस्ताक्षर के समय खरीदार पक्ष से नगद वसूल पाकर एकरार सहर्ष स्वीकार किया । अब लेख्यकारी को एक नया पैसा भी क्रेता पक्ष के यहाँ बाकी न रहा ना कभी होगा।

खाने नं० 5 में वर्णित सम्पत्ति में जितना भी हक वो दखल कब्जा आज तक लेख्यकारी या उनके उत्तराधिकारी को प्राप्त था या भविष्य में प्राप्त होता रहता वह सब कुल हक वो दखल कब्जा आज के दिन से मूल्य के कुल रूपयों के बदले हस्तांतरित होकर खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारी को प्राप्त हुआ वो भविष्य में प्राप्त होता रहेगा । खरीदार खाने नं० 5 में वर्णित सम्पत्ति पर बहैसियत सम्पत्ति के मूल सर्वाधिकारी वा हकदार वो दखलकार होकर वो रहकर जायदाद मजकुर को जिस प्रकार से चाहे अपने उपयोग वो उपभोग में लावे वो नाम अपनी वजाय लेख्यकारी के वसिरिस्ता बिहार सरकार के जमीन्दारी विभाग में इस बिक्रय पत्र के माध्यम से नामांकित करा लवेंगे । उस वक्त लेख्यकारी या उनके उत्तराधिकारी को किसी प्रकार का कोई उजूर वो एतराज न है वो न कभी होगा वो यदि

अलग कुमार
29/07/2015

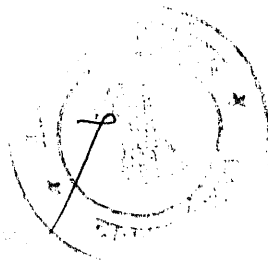
T

(6)

लेख्यकारी या उनके उत्तराधिकारी किसी गलत बयान से किसी किस्म के दावा या उजूरदारी निस्वत एराजी मजकूर या जरे सम्मन के करें तो उनकी उजूरदारी या दावा बमोकावले वशिका विक्रय पत्र के रद्द वो गैर कानूनी होगा वो किसी भी अदालत में कानूनी कारवाई करने योग्य नहीं होगा।

लेख्यकारी (विक्रेता) ने लेख्यधारीगण (क्रेताओं) को विश्वास दिलाए है कि खाने नं० 5 में वर्णित सम्पति हर प्रकार के अधिकार सम्बन्धी झंझट वो ऋण भार सरकारी वो गैर सरकारी से पुर्णतः मुक्त वो पाक साफ है। वो आज तक लेख्यकारिणी या उनके उत्तराधिकारी ने खाने नं० 5 में वर्णित सम्पति को किसी अन्य के साथ किसी प्रकार का कोई हस्तांतरण नहीं किये हैं वो नहीं लिखें हैं। वो अगर खिलाफ किसी प्रकार का अधिकार संबंधी झंझट वो ऋण भार सरकारी वो गैर सरकारी खाने नं० 5 में वर्णित सम्पति में पाया जाये या लेख्यकारी या उनके उत्तराधिकारी के हस्तक्षेप के फलस्वरूप खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारी सम्पति के अंश या कुल भुभाग से बेदखल कर दिये जाये जिससे किसी किस्म के कोई क्षति खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारी को हो तो वैसी हालत में खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारी अपनी क्षतिपूर्ति वकदर बेदखली या जो जो ऋण भार उनको अदाय करना पड़े उसे लेख्यकारिणी से या उनके उत्तराधिकारी से या उनके अन्यान्य चलाचल सम्पति से कानूनी कारवाई करके वसूल वो बेवाक कर लेवेंगे। उस वक्त लेख्यकारी या उनके किसी भी उत्तराधिकारी को किसी प्रकार का उजूर वो एतराज न है वो न कभी होगा।

अनन कुमार
29/07/2015



(7)

इस वास्ते यह वशिका निर्विवाद बिक्रय पत्र यानि केवाला बैय
ला कलामी लिख दिया कि समय पर काम आवे वो प्रमाण रहे ।

(समाप्त)

साक्ष्यगण

1. सदानन्द कुमार
पिता - दयानन्द सिंह
ग्राम - राजीपुर, पो. कोइरा
थाना - पालीगंज, जिला-पटना
29/07/15

मन्दे किशोर मेहता
पिता सोहणी विशुन भाइता
नासरीगंज दानापुर
पटना
ता. 29-7-2015

लेख्यकारी का हस्ताक्षर

अरुण कुमार
29/07/2015

लेख्यधारीगण का हस्ताक्षर

दीपक कुमार 29/7/15
BPPK09006
कुन्दन कुमार का
AVAPJ846361

Online Bank challan checked

एक सूची से मिलान किया
29/7/15
हस्ताक्षर

प्राप्तकर्ता

पारकेश्वर शर्मा
29.7.2015
दस्तावेज लेखक दानापुर पटना
मा 0-80 46102

दस्तावेज जारी
29/7/15
हस्ताक्षर

नजरी नक्शा

1) नाम लेख्यकारी:-

श्री अरूण कुमार पिता का नाम स्व० विश्वनाथ प्रसाद, निवास स्थान-नासरीगंज, थाना-दानापुर, पत्रालय-दीघा, जिला-पटना, हाल निवास स्थान-20 अविनाश नगर बरखेड़ा पठानी हुजुर भेल भोपाल हुजुर-462022, मध्य प्रदेश भारतीय नागरिक।

(2) नाम लेख्यधारीगण:-

(1) श्री दीपक कुमार

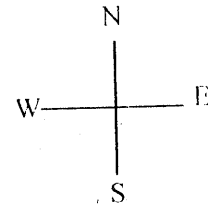
(2) श्री कुन्दन कुमार झा दोनों के पिता का नाम स्व० विजेन्द्र झा निवास स्थान वो पत्रालय-महरैल, थाना-रुद्रपुर, जिला-मधुबनी, बिहार, भारतीय नागरिक भारतीय नागरिक

(3) सम्पत्ति का सम्पूर्ण विवरण:-

मवाजी 10 धुर मौजा रूसतमपुर शाहपुर उर्फ सिकन्दरपुर जो मोदी प्लास्टिक से दक्षिण स्थित है परगना फुलवारी थाना वा सब रजिस्ट्री दानापुर, सदर रजिस्ट्री वो जिला पटना, जिसकी तौजी संख्या-5854, थाना नं०-17, खाता संख्या-196, सर्वे खेसरा प्लॉट सं०-524 प्रमाणित किया जाता है कि यह नजरी नक्शा 50 मीटर त्रिज्या के अन्दर पड़ने वाली सभी भूखण्डों को दर्शाया गया है।

कॉलर 526

कॉलर 524 (नं० 1)
वेदना कुमारी दसपूर
कॉलर 524
दीपक कुमार, कुन्दन कुमार
दसपूर (कॉलर 524)
निर्मला देवी दसपूर
कॉलर 524
पद्म कुमारी दसपूर
कॉलर 524
मीरानाथ मिश्रा दसपूर
कॉलर 524
मोहम्मद म्हा दसपूर
कॉलर 524
वेदना म्हा दसपूर
कॉलर 524
जिनेन्द्र कुमार दसपूर
कॉलर 524



कॉलर 524

(2) सनावा

दीपक कुमार
29/07/15

वि. नं० 1

विक्रेता का हस्ताक्षर

अरूण कुमार

29/07/2015

क्रेता का हस्ताक्षर

कुन्दन कुमार

Sch. XIV.—F.No. 180 V.

रसीद मालगुजारी

नाम सर्कल। नाम मौजा मय

थाना वो थाना नम्बर

V

10.1

डि०सि०मो०, पटना

फरद मालकी/फरद मालकी

नाम रैयत मय वल्लिदयत नाम

00681177

32-26

9/11/82	सि०-9/11/82	श्री जीपक कुमार, सुदा कुमारी
---------	-------------	------------------------------

अराजी नगदी

अराजी भावली

5/11/82	पिता - हनु बिजु माता - महेश्वरी, 6/9/82
---------	---

जोत का सालाना मांग मय तफसील (बकाया वो हाल) मौजुदा स...

2098-99 मांग बाबत	सालाना	बकाया				हाल
		तीन वर्ष से ज्यादा	उरा वर्ष	2रा वर्ष	1रा वर्ष	
माल- (नकदी)	7					7
गुजारी (भावली)	0.42					0.42
सेस	0.2					0.2
*सुद	0.2					0.2
मुतफरकात	0.2					0.2
मीजान	2.42					2.42

तफसील अदायकारी।

2098-99 अदायकारी बाबत		बकाया				मालबा हाल	काजिल
		तीन वर्ष से ज्यादा	उरा वर्ष	2रा वर्ष	1रा वर्ष		
माल- (नकदी)						7	
गुजारी (भावली)						0.42	
सेस						0.2	
*सुद						0.2	
मुतफरकात						0.2	
मीजान अदायकारी						2.42	

- (1) मीजान कुल (लफजों में) — 2.42
- (2) नाम देहिन्दा — 5
- (3) कुल बकाया — 5

दस्खत वो तारीख अमला तहसील

* जहाँ महाल का बकाया मालगुजारी पर (सेवाय ऐसे बकायों पर जिन...

प्रा० हा० काफ़ी 22/06/92-93

11/9/15

आदेश पत्रक

नुसूची १४ फरम सं० ५६२

(देखें अभिलेख 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक संख्या

ता०

हल्का

अंचल का नाम

२६०७/१५-१६

जिला

आदेश की
क्र. सं. और
ता०

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कार्यवाई के बारे में
टिप्पणी तारीख सहित

१

२

३

श्री ~~वीरपल कुमार्. कु-५२ कुमार्. का~~

बल ~~हल्का मिर्च-५ का~~

ग्राम ~~महल~~ थाना ~~ह. ५२८~~ जिला ~~मध्यप्रदेश~~ ने

केवाला सं० ~~६५-२२~~ दिनांक ~~२५/०६/९६~~ के आधार पर
निम्नांकित जमीन पर दाखिल खारिज हेतु आवेदन-पत्र दाखिल किया है।

मौज का नाम	तौजी नं०	खाता	खसरा	एराजी
~~सिक्का-९६८~~		५०	९९९	५.११
		९५६	६६९	
			४२४	

मुल आवेदन -पत्र हल्का कर्मचारी को अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन हेतु दे
दें। महाल पर सूचना जारी कर आपूर्ति की माँग करें। अभिलेख दिनांक ११/९/१५
को उपस्थित करें। लिखाया एवं शुद्ध किया।

अंचलाधिकारी

२/१५
अंचलाधिकारी

महाल पर तामिला नोटिस प्राप्त है। कोई आपति प्राप्त नहीं है। कर्मचारी का प्रतिवेदन अंचल
निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त हैं उन लोगों ने आवेदन के नाम दाखिल करने की अनुशंसा
किए हैं फलतः उनके अनुशंसा के आधार पर दाखिल खारिज की ६९९४५३
दिया जाता है लिखाया एवं शुद्ध किया शुद्धिपत्र निर्गत करें।

२/१५
अंचलाधिकारी

२/१५
अंचलाधिकारी

दाखिल खारिज - प्रतिवेदन

मु० केश नम्बर 2607

स्थल- 2692-16

हल्का नम्बर- 6

अंचल- दानापुर

ग्राम- बिक-पाट

राजस्व थाना नम्बर- 96

जिला- पटना

मु० में जमीन रकबा-

प्राप्त का जरिया- खरीद

जरशमन-

केबाल- 6422

तिथि- 22/06/96

जमाबंदी रयत का नाम	खाता	प्लोट	रकबा	लगान	जमाबंदी नम्बर
अमर कुमार पिता - स्व० बिबनाथ उलाह सा० - मासलीक	80 116	999 869 828	0.86 1/2	8-	8022 7 अ. अ. महापात्र आवृत्ति जमीन की जायदाद विबेता के नाम से दखल जमीन ज० आम, मासलीक उपम, उह रिहात से जुद्ध है जमीन देवरी है। स्व० आवृत्ति के कदम में है। अतः आम, महापात्र पद से जमाबंदी न० 8022 की खरीद से जमाबंदी है। Name शरद मो 99 116/214 जांचो
नया जमाबंदी रयत श्री पीपक कुमार श्री कु-न कुमार मा पिता - स्व० बिबनाथ उलाह सा० - महोदय पाना - सडर पिता - मच्युबनी	80 116	999 869 828	0.86 1/2 5.11-24	8-	श्री-पानाउपराध राजम पदमी के लिए है जातापद ग है। दो रवा जि स्थिति दि जा पदमी है। Name शरद

नया जमाबंदी रयत
श्री-पानाउपराध राजम
पदमी के लिए है
जातापद ग है।
दो रवा जि स्थिति
दि जा पदमी है।